मन्दिर न्यास श्री ज्वालामुखी, तहसील ज्वालामुखी, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.01.2013 से 31.12.2013

भाग—एक

1 प्रारम्भिकः—

(क) हिमाचल प्रदेश हिन्दु सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्व विन्यास अधिनियम 1984 की धारा 23 (2) (ग)(2) तथा हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या भाषा (A)3—3/85—पार्ट—II दिनांक 17.1.1989 के दृष्टिगत, मन्दिर न्यास माता श्री ज्वालामुखी जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश के अवधि 01.01.2013 से 31.12.2013 के लेखाओं का अंकेक्षण इस विभाग द्वारा किया गया।

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः—

क्र0सं0	पैरा सं0	गम्भीर अनियमितताओं का सार	राशि लाखों में
1	5 (ख)	वर्ष 2012 की तुलना में वर्ष 2013 में राशि की अप्रत्याशित कमी का होना	116.04
2	7	मन्दिर न्यास द्वारा प्रस्तुत आय में से कम जमा करवाना	0.15
3			
4	14	मन्दिर न्यास श्री ज्वालामुखी के कर्मचारियों को प्रोत्साहन के रूप में राशि का अनियमित एवं गलत भुगतान करना	24.44
5	15	टैक्सी किराए के रूप में मन्दिर अधिकारी श्री सुरेन्द्र शर्मा को गलत एवं अनियमित भुगतान करना	0.22
6	16	डिग्री कॉलेज ज्वालामुखी को वर्ष 2013 में राशि प्रदान करने बारे	40.00
7	17	विभिन्न पत्रिकाओं में विज्ञापन देने हेतु राशि का व्यय करना	0.40
8	23	मन्दिर न्यास श्री ज्वालामुखी में विभिन्न ठेकेदारों द्वारा किए गए कार्यों से 1.5% जल प्रभार की राशि की कटौती न करना	0.52

(ग) गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदनः—

मन्दिर न्यास श्री ज्वालामुखी द्वारा गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित अनिर्णीत पैरों के निपटारे हेतु कोई विशेष कार्रवाई नहीं की गई जिसके फलस्वरूप गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के पैरों का कई वर्ष बीत जाने के उपरान्त भी समायोजन/निपटारा सम्भव

न हो सका। इस प्रकार अंकेक्षण प्रतिवेदनों में उठाई गई विभिन्न प्रकार की आपत्तियों और विशेषकर अत्यन्त गम्भीर आपत्तियों के निरस्तीकरण हेतु मन्दिर न्यास द्वारा कोई प्रभावी कार्रवाई न करना स्वतः ही चिन्ताजनक है। अतः यह प्रकरण उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ इस आशय से लाया जाता है कि गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित विभिन्न प्रकार के पैरों और विशेष रूप से अत्यन्त गम्भीर प्रकृति की आपत्तियों से सम्बन्धित पैरों के निपटारे हेतु समयबद्ध सीमा के भीतर अपेक्षित कार्रवाई करने हेतु मन्दिर न्यास के अधिकारियों को उचित निर्देश दिए गए ताकि गत कई वर्षों से अनिर्णीत पड़े पैरों/अनुच्छेदों का निपटारा/समायोजन सम्भव हो सके तथा अंकेक्षण का उद्देश्य सार्थक हो सके। गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदनों के पैरों की वर्तमान स्थिति **परिशिष्ट "A"** पर दी गई है।

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षणः–

मन्दिर न्यास श्री ज्वालामुखी के अवधि 01.01.2013 से 31.12.2013 के वर्तमान लेखों का अंकेक्षण, श्री राज कुमार, अनुभाग अधिकारी व श्री सुशील कुमार, आर्टिकल सहायक द्वारा दिनाँक 25.7.2014 से 09.09.2014 के दौरान ज्वालामुखी में किया गया, जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में दिए गए है। आय की विस्तृत जाँच हेतु मास 4/13 तथा व्यय की विस्तृत जाँच हेतु भी मास 4/13 का चयन किया गया।

इसके अतिरिक्त यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन मन्दिर न्यास श्री ज्वालामुखी के नियन्त्रण अधिकारी/मन्दिर अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचनाओं एवं अंकेक्षण में जांच हेतु प्रस्तुत किए गए अभिलेख के आधार पर तैयार किया गया है। मन्दिर अधिकारी द्वारा प्रदान की गई किसी भी गलत सूचना अथवा सूचना जो प्रदान नहीं की गई, के लिए स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं है।

3 अंकेक्षण शुल्कः–

मन्दिर न्यास श्री ज्वालामुखी के अवधि 01.01.2013 से 31.12.2013 के वर्तमान लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹38500/–बनता है जिसे बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला–9 (हिमाचल प्रदेश) के नाम भेजने हेतु अनुभाग अधिकारी (ले0प0) द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 181 दिनांक 8.9.14 द्वारा मन्दिर अधिकारी से अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थितिः–

(क) मन्दिर न्यास द्वारा प्रस्तुत मन्दिर न्यास श्री ज्वालामुखी की अवधि 01.01.13 से 31.12.13 की वित्तीय स्थिति निम्नलिखित प्रकार से हैः–

दिनाँक 01.01.13 को आरम्भिक शेष	133994892.55
वर्ष के दौरान प्राप्त आय	(+)74187391.00
वर्ष के दौरान प्राप्त ब्याज	(+)13525461.00
कुल योग	**221707744.55**
वर्ष के दौरान कुल व्यय	(–) 70571336.00
वर्ष 2013 का अन्तिम शेष दिनाँक 31.12.13	**151136408.55**
Rouneded off	**151136409.00**

(ख) अन्तिम शेष का विवरणः–

(i) बैंक पास बुक के अनुसार दिनांक 31.12.2013 को विभिन्न बैंकों के बचत खातों मे जमा राशि का विवरण निम्नलिखित प्रकार से हैः–

क्र0सं0	बैंक का नाम	बैंक खाता संख्या	जमा राशि
1	पी0एन0बी0 ज्वालामुखी	0717000100116332	3407573.79
2	पी0एन0बी0 ज्वालामुखी	0717000100199478	89143.82
3	पी0एन0बी0 ज्वालामुखी	0717000100163880	139230.02
4	सी0बी0आई0 ज्वालामुखी	2206610544	410614.00
5	एस0बी0आई0 ज्वालामुखी	10551097078	427024.83
6	एच0डी0एफ0सी0	06051450000059	136538.92
7	ओ0बी0सी0 ज्वालामुखी	18912011000193	1998185.00
		कुल योग	**6608310.38**
		Rouneded off	**6608310.00**

(ii) सावधि जमा योजना के अन्तर्गत दिनांक 31.12.13 तक **परिशिष्ट "क"** पर दिए गए विवरणानुसार ₹147742003/– निवेशित की गई थी जिसे परिपक्वता पर पुनः निवेशित करना व प्राप्त ब्याज का रोकड़ वही में लेखांकन करना सुनिश्चित किया जाए।

उपरोक्त क्रम संख्या (i) व (ii) का कुल योग	154350313
(₹6608310+₹147742003=₹154350313)	
रोकड़ वही/वित्तीय स्थिति के अनुसार अन्तिम शेष	151136409
अन्तर	**3213904**

(ग) बैंक समाधान विवरणिकाः–

रोकड़ बही व बैंक खातों में पाए गए ₹3213904 के अन्तर के कारण निम्न प्रकार से हैः–

रोकड़ बही के अनुसार दिनाँक 31.12.13 का अन्तिम शेष		**₹151136409**
जमाः–	दिनाँक 31.7.13 को ₹10000/– व दिनाँक 31.8.13 को ₹8078 अर्थात कुल ₹18078 जोकि आय के रूप में प्राप्त हुई	(+) 18078

	थी, का रोकड़ बही में इन्द्राज न करना तथा जिसका दिनाँक 31.3.14 को समायोजन किया गया	
जमाः–	दिनाँक 31.12.13 को बैंक में जमा करवाई राशि का बैंक द्वारा डिमांड ड्राफ्ट तैयार न करना	(+) 369654
जमाः–	चैक जो जारी किए गए लेकिन दिनाँक 31.12.13 तक इन चैकों को भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया **(परिशिष्ट "ख–1" से "ख–3")**	
	(क) पी0एन0बी0 ज्वालामुखी 1654209	
	(ख) सी0बी0आई0 ज्वालामुखी 577478	
	(ग) ओ0बी0सी0 ज्वालामुखी 787334	(+) 3019021
जमाः–	रोकड़ बही में दर्ज नहीं की गई राशि जोकि बैंक में जमा है। (0.63+0.83=1.46) **Rouneded off ₹**1	(+)1
माईनसः–	दिनाँक 31.12.13 को पी0एन0बी0 ज्वालामुखी में जमा करवाई गई राशि जिसे बैंक द्वारा 31.12.13 तक क्रेडिट नहीं किया गया	(–) 192850
	बैंक पास बुक के अनुसार शेष	**154350313**

5 आय–व्यय का वित्तीय विश्लेषणः–

(क) मन्दिर न्यास श्री ज्वालामुखी कीं वर्ष 2013 की आय–व्यय का वित्तीय विश्लेषण निम्न प्रकार से हैः'–

वर्ष	आय	व्यय
2012	99317305	68060019
2013	87712852	70571336
	(–) 11.68% कमी	(+) 3.68% वृद्धि

(ख) वर्ष 2012 की तुलना में वर्ष 2013 में आय से ₹11604453 की अप्रत्याशित कमी का होनाः–

उपरोक्त पैरा संख्या 5 (क) में वांछित आय–व्यय के आंकड़ों के वित्तीय विश्लेषण से स्वतः स्पष्ट है कि वर्ष 2013 की आय में वर्ष 2012 की आय की तुलना में ₹11604453 की अर्थात 11.68**%** कमी दर्ज हुई है जोकि चिन्ताजनक विषय होने के साथ–2 मन्दिर न्यास के उक्त वर्ष में अप्रभावी वित्तीय नियन्त्रण एवं अकुशल प्रबन्धन का परिचायक है। यहाँ यह भी उल्लेखित करना नितान्त आवश्यक होगा कि गत बीस वर्षों में कभी भी मन्दिर की आय में गत वर्षों की तुलना कमी नहीं हुई है अपितु प्रत्येक वर्ष में गत वर्ष की तुलना में आय में वृद्धि हुई है। अतः मन्दिर न्यास के उच्च अधिकारीगण के ध्यानार्थ आय की अप्रत्याशित कमी का प्रकरण इस आशय से लाया जाता है कि आय की कमी को रोकने हेतु कुल वित्तीय नियन्त्रण व

कुशल प्रबन्धन स्थापित करने हेतु उचित एवं प्रभावी कदम उठाए जाएं ताकि गत वर्षों की भान्ति आय में वृद्धि की वास्तविकता को बरकरार रखा जा सके।

(ग) स्थापना व्ययः–

उपरोक्त पैरा 5 (क) में दर्शाए आंकड़ों के अनुसार जहाँ एक ओर मन्दिर न्यास की आय में गत वर्ष की तुलना में कमी आई है वहीं दूसरी ओर मन्दिर न्यास के खर्चों में बढ़ौतरी हुई है। इस सन्दर्भ में वर्णित किया जाता है कि मन्दिर न्यास श्री ज्वालामुखी में एक अधिकारी व दो कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत्त है। इसके अतिरिक्त मन्दिर न्यास में कुल 86 कर्मचारी है जिनमें से 76 कर्मचारी नियमित वेतन पर व 10 कर्मचारी नियत वेतन पर कार्यरत्त है। उक्त के अतिरिक्त मन्दिर में 12 गृह रक्षक व 14 सुरक्षा गार्ड भी कार्यरत्त हैं। इन कर्मचारियों पर वर्ष 2013 में वेतन के रूप में ₹27221656/– खर्च किए गए है, जोकि वर्ष 2013 की कुल आय का 31.21**%** है। इसके अतिरिक्त वर्ष में लगने वाले नवरात्रों के मेलों के दौरान लगभग 50 सफाई कर्मचारी 50 अस्थाई कर्मचारी व 60 से 100 तक गृह रक्षक अलग–2 नियुक्त किए जाते है जिसके लिए अलग से व्यय किया जाता है। अतः परामर्श दिया जाता है कि सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए मन्दिर न्यास के स्थापना के अतिरिक्त अन्य समस्त खर्चों को नियन्त्रण में लाने के लिए प्रभावी कार्रवाई अमल में लाई जाए।

6 सोना एवं चांदीः–

(क) वर्ष 2013 में सोने की स्थिति निम्न प्रकार से हैः– (परिशिष्ट "ग")

आरम्भिक शेष	**किलो**	**ग्राम**	**मिली ग्राम**
01.01.2013	35	700	299
वर्ष के दौरान प्राप्त सोना	01	630	880
कुल योग	**37**	**331**	**179**
स्टॉक रजिस्टर के अनुसार सोने की मात्रा	**36**	**938**	**179**
अन्तर	**–**	**393**	**–**

अन्तर का कारणः– वर्ष 2002 के अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 6 (ख) के अन्तर्गत उपरोक्त अन्तर का कारण अशुद्ध सोने की मात्रा को दर्शाया गया है जिसका मन्दिर न्यास द्वारा अभी तक निपटारा नहीं किया गया है। अतः इस विसंगति का तुरन्त निपटारा किया जाना अपेक्षित है व अशुद्ध सोने की दर्शाई गई मात्रा को अलग से अशुद्ध सोने के स्टॉक रजिस्टर में दर्ज किया जाना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त **परिशिष्ट "ग"** में दर्शाई गई सोने की मात्रा को उपरोक्त विवरणानुसार ठीक किया जाए। यह मामला मन्दिर न्यास के उच्च अधिकारियों के विशेष ध्यानार्थ उचित कार्रवाई हेतु लाया जाता है ताकि उक्त विसंगति का निपटारा सम्भव हो सके।

(ख) वर्ष 2013 में चाँदी की स्थिति निम्नलिखित प्रकार से हैः–(परिशिष्ट "घ")

	क्विंटल	**किलो**	**ग्राम**	**मिली ग्राम**
आरम्भिक शेष	13	83	775	250
घटाव	1	056	995	650
शुद्व योग	**12**	**26**	**779**	**600**
वर्ष 2013 के दौरान प्राप्ति	00	30	323	500
कुल योग	**12**	**57**	**103**	**100**
स्टॉक रजिस्टर के अनुसार मात्रा	**12**	**57**	**103**	**100**

नोटः– दिनाँक 31.8.03 को चाँदी पिघलाने के कारण खोट के रूप में दर्शाई गई मात्रा 2 किलो 046 ग्राम व 650 मिली ग्राम से सम्बन्धित आपत्ति तथा दिनाँक 26.2.09, 27.02.09 व 7.3.09 को चाँदी पिघलाने एवं शुद्धिकरण प्रक्रिया के दौरान खोट के रूप में नष्ट दर्शाई गई चाँदी 1 क्विंटल 54 किलो 949 ग्राम में सन्दर्भित अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 01.01.05 से 31.12.05 के पैरा संख्या 4 (ख) तथा अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा अवधि 01.01.09 से 31.12.09 के पैरा संख्या 10 का निपटारा अतिरिक्त निदेशक की अंकेक्षण निरीक्षण रिपोर्ट संख्या 1–548/2011–फिन (एल0ए0) भाग–एक के दिनाँक 09.09.14 द्वारा किया जा चुका है। फलस्वरूप चाँदी की उक्त मात्रा को जोकि गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित चली आ रही थी, को वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में चाँदी की स्थिति से कम किया गया है, ताकि मिलान सम्भव हो सके।

7 मन्दिर न्यास द्वारा प्राप्त आय में से ₹15728/– को कम जमा करवाया जानाः–

मन्दिर न्यास की आय की जांच करने पर पाया गया कि न्यास के कर्मचारियों द्वारा निम्नविवरणानुसार प्राप्त आय में से ₹15728/– कम जमा जमा करवाई गई थी।

(क) मन्दिर न्यास द्वारा जारी की गई रसीदों से प्राप्त आय की राशि में से ₹9660/– कम जमा करवाए जाने बारेः–

आय हेतु जारी की गई रसीदों में से वर्ष 2013 के दौरान रसीदों से प्राप्त वास्तविक आय से निम्नविवरणानुसार ₹9660/– कम जमा करवाई गई थी।

(i) वास्तविक योग से कम योग दर्शाकर ₹3800/– कम जमा करवाने बारेः–

क्र0सं0	**कर्मचारी का नाम**	**दिनांक**	**रसीद रजिस्टर पेज नं0**	**वास्तविक योग**	**दर्शाया गया योग**	**कम दर्शाया गया योग**
1	श्री अवतार सिंह	1.12.13	86	8500	6500	2000
2	श्री अवतार सिंह	10.11.13	83	1600	1500	100

3	श्री अवतार सिंह	25.3.13	27	4920	4820	100
4	श्री अवतार सिंह	24.7.13	59	7400	7300	100
5	श्री अवतार सिंह	13.10.13	78	19560	18560	1000
6	श्री राजेन्द्र सिंह	30.3.13	29	14980	14930	50
7	श्रीमती राणो देवी	12.4.13	152	12620	12170	450
					योग	**3800**

(ii) रजिस्टर में रसीदें दर्ज न करने के परिणामस्वरूप ₹5240/– कम जमा करवाने बारेः–

क्र0 सं0	कर्मचारी का नाम	दिनांक	रसीद सं0	कुल रसीदें	दर्ज की गई रसीदें	कम दर्ज की गई रसीदें	प्रति रसीद मूल्य	राशि
1	श्री राजेन्द्र कुमार	27.01.13	0107711 से 0107762	52	51	1	100	100
2	श्री राजेन्द्र कुमार	06.05.13	004242 से 004276	35	30	5	100	500
3	श्री राजेन्द्र कुमार	09.06.13	005883 से 005900	18	8	10	100	1000
4	श्री राजेन्द्र कुमार	14.10.13	011019 से 011087	69	68	1	100	100
5	श्री राजेन्द्र कुमार	13.08.13	051213 से 051281	69	68	1	10	10
6	श्री राजेन्द्र कुमार	15.08.13	057409 से 057479	71	70	1	10	10
7	श्री राजेन्द्र कुमार	09.10.13	057583 से 057596	14	13	1	10	10
8	श्री अवतार सिंह	05.10.13	08705 से 08760	56	54	2	100	200
9	श्री अवतार सिंह	13.10.13	010838 से 010888	51	31	20	100	2000
10	श्री अवतार सिंह	01.12.13	029014 से 029016	3	2	1	20	20
11	श्रीमती राणो देवी	26.01.13	33913 से 33918	6	5	1	500	500
12	श्रीमती राणो देवी	29.03.13	034281 से 034284	4	3	1	500	500
13	श्रीमती राणो देवी	05.01.13	107350 से 107356	7	6	1	100	100
14	श्रीमती राणो देवी	08.04.13	00369 से 00400	32	31	1	50	50
15	श्रीमती राणो देवी	10.10.13	6038 से 6064	27	26	1	50	50
16	श्रीमती राणो देवी	04.08.13	4744 से 4752	9	8	1	50	50

17	श्रीमती राणो देवी	03.08.13	27142 से 27147	6	5	1	20	20
18	श्रीमती राणो देवी	12.04.13	24689 से 24700	12	11	1	20	20
							योग	**5240**

(iii) रसीद रजिस्टर में रसीदें दर्ज न करने के कारण ₹620/– कम जमा करवाने बारे:–

क्र0 सं0	कर्मचारी का नाम	दिनांक	रसीद सं0	रसीदों की सं0	प्रति रसीद मूल्य	राशि
1	श्रीमती राणो देवी	06.04.13	024800	1	20	20
2	श्रीमती राणो देवी	23.01.13	33908	1	500	500
3	श्रीमती राणो देवी	03.10.13	9732	1	100	100
					योग	**₹620**

क्रम संख्या (i) से (iii) तक का कुल योग (₹3800+₹5240+₹620)

₹9660

(ख) नोटों व सिक्कों के रूप में प्राप्त राशि में से ₹3980/– कम जमा करवाने बारे:–

गल्ला रजिस्टर के अनुसार मन्दिर न्यास द्वारा वर्ष 2013 के दौरान नोटों व सिक्कों के रूप में प्राप्त राशि में से निम्नविवरणानुसार ₹3980/– कम जमा करवाई गई।

(i) गल्ला रजिस्टर में वास्तविक योग से कम राशि दर्शाकर ₹470/– कम जमा करवाने बारे:–

क्र0सं0	दिनांक	गल्ला रजिस्टर पेज संख्या	वास्तविक योग	दर्शाया गया योग	कम दर्शाई गई राशि
1	22.05.13	4	8584	8384	200
2	28.06.13	78	139240	139230	10
3	02.09.13	9	6500	6300	200
4	25.10.13	115	5372	5362	10
5	04.11.13	135	3060	3010	50
				योग	**₹470**

(ii) गल्ला रजिस्टर से प्राप्त किए गए नोटों के विवरण के अनुसार वास्तविक योग से कम राशि दर्शाकर ₹3210/– कम जमा करवाने बारे:–

क्र0सं0	दिनांक	पेज संख्या	नोटों का विवरण	वास्तविक योग	दर्शाई गई राशि	कम दर्शाई गई राशि
1	25.01.13	87	50x177	8850	8650	200
2	06.03.13	26	5x37	185	175	10

3	12.03.13	31	5x600	3000	300	2700
4	22.09.13	49	20x20	400	100	300
					योग	**₹3210**

(iii) गल्ला रजिस्टर में फटे–पुराने नोटों के रूप में प्राप्त राशि में से डे–बुक में ₹300/– कम दर्ज करने बारेः–

क्र0सं0	**दिनांक**	**गल्ला रजिस्टर में प्राप्त दर्शाई गई राशि**	**डे–बुक में दर्ज राशि**	**कम दर्ज राशि**
1	04.03.13	100	50	50
2	27.05.13	300	200	100
3	05.10.13	200	100	100
4	08.10.13	350	300	50
			योग	**₹300**

उपरोक्त क्रम संख्या (i) से (iii) तक का कुल योग(₹470+₹3210+₹300) ₹3980

(ग) मन्दिर न्यास द्वारा जारी की गई रसीदों से प्राप्त आय को डे–बुक में दर्ज न करने के कारण ₹2088/– कम जमा करवाने बारेः–

(i) आय की जांच करने पर पाया गया कि रसीदों के अन्तर्गत प्राप्त की गई ₹2038/–को डे–बुक में दर्ज नहीं किया गया है, जिसका विवरण निम्नलिखित प्रकार से हैः–

क्र0सं0	**रसीद सं0**	**दिनांक**	**राशि**
1	0019195	20.07.13	500
2	0019196	20.07.13	100
3	0019197	20.07.13	1438
		योग	**₹2038**

(ii) रसीदों के अन्तर्गत प्राप्त राशि में से डे–बुक में से ₹50/– कम दर्ज करने बारेः–

दिनांक	**रसीद सं0**	**प्राप्त राशि**	**डे–बुक में दर्ज राशि**	**कम दर्ज की गई राशि**
12.11.13	19753	625		
12.11.13	19754	250		
	योग	**875**	**825**	**50**

उपरोक्त क्रम संख्या (i) से (ii) तक का कुल योग(₹2038+₹ 50+₹2088)

उपरोक्त क्रम संख्या (क) से (ग) **तक का कुल योग ₹15728**

उपरोक्त (क) से (ग) पर उल्लेखित ₹15728/–को कम जमा करवाए जाने के प्रकरण को अंकेक्षण अधियाचना संख्या 161 दिनांक 01.08.14 व अधियाचना संख्या 167 दिनांक 12.08.14 द्वारा मन्दिर अधिकारी के ध्यानार्थ लाया गया जिस पर मन्दिर अधिकारी

द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए उक्त राशि की वसूली सम्बन्धित कर्मचारियों/अधिकारियों से करने के उपरान्त यह राशि रसीद संख्या 21584 दिनांक 22.08.14 द्वारा ₹13368 व रसीद संख्या 21586 दिनांक 22.08.14 द्वारा ₹2360 अर्थात कुल ₹15728 (₹13368+₹2360)=₹15728 मन्दिर कोष में जमा करवा दी गई है तथा उक्त राशि जमा करवाने की पुष्टि अंकेक्षण के दौरान ही कर ली गई है। अतः परामर्श दिया जाता है कि भविष्य में उक्त प्रकार की अनियमितताओं की पुनरावृति को रोकने हेतु प्रभावी कार्रवाई अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाए।

8 लंगर में राशन एवं अन्य सामान इत्यादि को स्टॉक रजिस्टर में दर्ज न करनाः–

जाँच के दौरान पाया गया कि वर्ष 2013 में लंगर में रसीदों के अन्तर्गत प्राप्त राशन एवं अन्य सामान को सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टरों में दर्ज नहीं किया गया है, जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

(क) लंगर में रसीदों के अन्तर्गत प्राप्त राशन को सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टर में दर्ज न करने का विवरण निम्नलिखित हैः–

क्र0सं0	रसीद संख्या	दिनाँक	सामान का विवरण	मात्रा
1	0014181	6.4.13	मसाला	3 कि0ग्रा0
2	0014181	6.4.13	सफेद चने	2 कि0ग्रा0
3	0014096	2.1.13	माह साबुत	2 कि0ग्रा0
4	0018610	6.6.13	मसाला	2 कि0ग्रा0
5	0018612	6.6.13	सूजी	7 कि0ग्रा0
6	0018691	7.8.13	मिर्च	100 ग्राम
7	0018695	12.8.13	सरसों तेल	5 कि0ग्रा0
8	0014407	24.8.13	डालडा घी	1 कि0ग्रा0
9	0014407	24.8.13	चायपत्ती	250 ग्राम
10	0014462	5.10.13	राजमाह	200 कि0ग्रा0
11	0014462	5.10.13	पिसी मिर्च	30 कि0ग्रा0
12	0014466	5.10.13	मैदा	200 कि0ग्रा0
13	0014507	16.11.13	तेल	5 कि0ग्रा0
14	0014511	18.11.13	नमक	1 कि0ग्रा0
15	0014519	22.11.13	तेल सरसों	2 कि0ग्रा0
16	0014519	22.11.13	नमक	2 कि0ग्रा0
17	0014530	27.11.13	लौंग	1 कि0ग्रा0
18	0014530	27.11.13	तेल	30 कि0ग्रा0
19	0014538	6.12.13	चने दाल	3 कि0ग्रा0

20	0014563	6.12.13	तेल	½ कि0ग्रा0
21	0014566	30.12.13	नमक	5 कि0ग्रा0
22	0014566	30.12.13	मिर्च	½ कि0ग्रा0

(ख) वर्ष 2013 के दौरान लंगर में रसीदों के अन्तर्गत प्राप्त बर्तनों को बर्तन स्टॉक रजिस्टर–44 में दर्ज नहीं किया गया जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

क्र0सं0	रसीद संख्या	दिनाँक	सामान का विवरण	मात्रा
1	0014196	12.4.13	स्टील बाल्टी	5
2	0014196	12.4.13	स्टील केटली	5
3	0014197	12.4.13	सिल्वर पतीला	1
4	0014241	26.4.13	पूरियाँ बनाने वाली मशीनें	2
5	0018649	27.4.13	स्टील थालियाँ	100
6	0018676	21.7.13	स्टील गिलास	6
7	0014508	16.11.13	स्टील थालियाँ	6
8	0014512	18.11.13	स्टील बाटी	1
9	0014564	30.12.13	स्टील थालियाँ	5
10	0014564	30.12.13	स्टील गिलास	5
11	0014564	30.12.13	स्टील कौली	5

(ग) इसके अतिरिक्त बर्तन स्टॉक रजिस्टर–44 में दिनाँक 23.4.13 को आरम्भिक शेष में 494 स्टील थालियाँ कम दर्शाई गई हैं, जिसका विवरण निम्नलिखित प्रकार से हैः–

सामान का नाम	लंगर बर्तन स्टॉक रजिस्टर	पेज सं0	दिनाँक	अन्तिम शेष की मात्रा	दिनाँक	आरम्भिक शेष की मात्रा	कम दर्शाई गई मात्रा
स्टील थालियाँ	44	176	13.4.13	992	23.4.13	498	494

(घ) वर्ष 2013 के दौरान रसीदों के अन्तर्गत प्राप्त पंखे एवं अन्य सामान को सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टरों में दर्ज नहीं किया गया है जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

क्र0सं0	दिनाँक	रसीद संख्या	मात्रा	सामान का विवरण
1	12.5.13	0013896	1	पंखा (ऊषा)
2	19.8.13	0014318	1	पंखा (देसी)
3	23.3.13	0013871	1	वाटर कूलर 40 ली0
4	31.3.13	0013875	1	घड़ी

अतः उपरोक्त क्रम संख्या (क) से (घ) पर उल्लेखित सामान को स्टॉक रजिस्टर में दर्ज न करने तथा प्रारम्भिक शेष में सामान को कम दर्शाये जाने बारे अनियमितता के कारण स्पष्ट किए जाऐं तथा न्यास स्त्तर पर आन्तरिक जाँच करके इस सामान का मूल्य प्रचलित बाजारीय दरों के आधार पर निर्धारण करने के उपरान्त उक्त राशि की वसूली सम्बन्धित उत्तरदायी प्रभारियों/कर्मचारियों से करने उपरान्त, यह राशि मन्दिर कोष मे जमा करवाई जानी सुनिश्चित की जाए व कृत कार्रवाई से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

9 लंगर में रसीदों के अन्तर्गत प्राप्त राशि को देरी से जमा करवाने बारेः–

लंगर में रसीदों के अन्तर्गत दानस्वरूप प्राप्त की गई राशि को वसूली के अगले दिन मन्दिर कोष में जमा न करवाकर कई–2 दिनों तक हस्तगत रखकर इनका अस्थाई दुरूपयोग किया गया है जबकि वित्तीय नियमानुसार वसूली गई राशि को वसूली के अगले दिन तथा अगले दिन अवकाश होने की स्थिति में उससे अगले दिन सम्बन्धित खाते में जमा करवाना अनिवार्य होता है। अतः लंगर में रसीदों के अन्तर्गत वसूली गई राशि को वसूली के अगले दिन सम्बन्धित खाते में जमा करवाना अनिवार्य है। अतः लंगर में रसीदों के अन्तर्गत वसूली गई राशि को वसूली के अगले दिन मन्दिर कोष में जमा न करवाकर कई–2 दिनों तक हस्तगत रखकर इनका अस्थाई दुरूपयोग करने के कारण स्पष्ट किए जाएं। रसीदों के अन्तर्गत वसूली गई राशि को देरी से जमा करवाने का विवरण निम्नलिखित प्रकार से हैः–

क्र0सं0	दान प्राप्ति की तिथि	रसीद संख्या	राशि	जमा करवाने की तिथि	जितने दिन देरी से जमा करवाई
1	16.8.13	0014404	33000	23.8.13	6 दिन
2	16.8.13	0014405	4000	23.8.13	6 दिन
3	28.8.13	0014415	5000	9.9.13	11 दिन
4	28.8.13	0014416	2100	9.9.13	11 दिन
5	28.8.13	0014417	13793	16.9.13	18 दिन
6	11.9.13	0014430	11000	17.9.13	5 दिन
7	30.9.13	0014454	8248	7.10.13	6 दिन
8	1.10.13	0014456	3000	8.10.13	6 दिन
9	12.10.13	0014480	18700	24.10.13	11 दिन
10	22.11.13	0014520	2100	28.11.13	5 दिन
11	22.11.13	0014521	5000	7.12.13	14 दिन
12	22.11.13	0014522	10197	15.12.13	22 दिन
13	26.11.13	0014528	9405	15.12.13	18 दिन
14	26.11.13	0014529	3146	15.12.13	18 दिन
15	6.12.13	0014539	5100	16.12.13	9 दिन
16	9.12.13	0014543	2200	16.12.13	6 दिन

10 मन्दिर न्यास द्वारा जारी की गई रसीदें प्रस्तुत न करने बारेः–

जाँच के दौरान पाया गया कि माह 4/13 में डे–बुक के अनुसार जारी की गई रसीदों से आय प्राप्त की गई दर्शाई है लेकिन उक्त आय से सम्बन्धित रसीदें अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत नहीं की गई। इस प्रकार रसीदों के अभाव में माह 4/13 में विभिन्न रसीदों के अन्तर्गत प्राप्त की गई आय की वर्तमान अंकेक्षण के दौरान सत्यापना सम्भव न हो सकी। अतः माह 4/13 में आय हेतु जारी की गई रसीदें आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत की जानी सुनिश्चित की जाए ताकि प्राप्त की गई आय की राशि की सत्यापना सम्भव हो सके। अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत न की गई रसीदों का विवरण निम्नलिखित हैः–

क्र0सं0	रसीद सं0	माह	विवरण
1	18847 से 18900	4/13	मुरम्मत, सोना व चाँदी
2	18401 से 18500	4/13	मुरम्मत, सोना व चाँदी
3	18192 से 18200	4/13	मुरम्मत, सोना व चाँदी
4	18301 से 18400	4/13	मुरम्मत, सोना व चाँदी

11 मन्दिर न्यास श्री ज्वालामुखी की नकारा सामान की नीलामी के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं बारेः–

अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि मन्दिर न्यास द्वारा नकारा सामान की नीलामी दिनाँक 3.7.13 को की गई है। नीलामी से सम्बन्धित अभिलेख की जाँच करने पर निम्नलिखित अनियमितताऐं पाई गई है, जिनका निराकरण किया जाए।

(क) नीलामी में भाग लेने वाले 54 बोलीदाताओं से धरोहर ₹10000/– प्रति बोलीदाता वास्तविक रूप में प्राप्त करने का कोई साक्ष्य नहीं है क्योंकि मन्दिर न्यास द्वारा धरोहर राशि प्राप्त करने हेतु द्वारा कोई भी रसीद नहीं काटी है अपितु साधारण कागज पर धरोहर राशि नकद रूप में एकत्रित की गई दर्शाए है, जोकि नियमों की अवहेलना है।

(ख) निविदा सूचना के अनुसार प्रत्येक मद हेतु न्यूनतम व आरक्षित मूल्य मन्दिर न्यास द्वारा निर्धारित किया जाना अपेक्षित था लेकिन 35 मदों की नीलामी में किसी भी मद का न्यूनतम/आरक्षित मूल्य निर्धारित नहीं किया है। अतः न्यूनतम/आरक्षित मूल्य के बगैर नीलामी करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए।

(ग) अभिलेखानुसार मन्दिर न्यास द्वारा 11 वॉटर कूलर दिनाँक 22.8.2006 को ₹30000/– प्रति कूलर की दर से ₹330000/– में तथा 3 नम्बर एयर कूलर दिनाँक 7.4.2002 को ₹3500/– प्रति कूलर की दर से ₹10500/– में क्रय किए गए थे अर्थात मन्दिर न्यास द्वारा 11 वाटर कूलर तथा 3 नम्बर एयर कूलर कुल ₹340500/– में क्रय किए गए थे तथा इन मदों को रसीद संख्या 19139 के अन्तर्गत ₹30200/– में बेचा गया दर्शाया है जबकि नीलामी रजिस्टर के अनुसार उक्त सामान की बोली ही नहीं लगाई गई है। अतः बिना बोली के ₹340500/– के सामान का वर्तमान मूल्य निर्धारण किए बगैर ही इन्हें ₹30200/– में बेचा जाना अनियमित है व नीलामी के नियमों की गम्भीर अवहेलना है। अतः उक्त अनियमितता का भी औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा इस प्रकरण में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जाए।

(घ) नीलामी रजिस्टर के अनुसार 2 जनरेटर होडा व किलोस्कर 4KW जिनका मूल्य ₹32370/– व ₹40000/– है, की बोली ₹40200/– में लगाई गई है, जबकि सम्बन्धित सहायक विद्युतकार, जिनके पास स्टोर में यह जनरेटर मौजूद थे द्वारा बोली दाता को 4 KW किलोस्कर जनरेटर के स्थान 7½ KW का किलोस्कर का जनरेटर दिया गया दर्शाया गया है, जिसका मूल्य ₹105725/– था व जोकि अच्छी हालत प्रयोग योग्य दर्शाया गया था। इस प्रकार इस प्रकरण में भी मन्दिर न्यास को वित्तीय हानि हुई है, जिसकी न्यास स्त्तर पर आन्तरिक जाँच की जाए तथा अपेक्षित राशि की वसूली उचित स्त्रोत से की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(ङ) नीलामी रजिस्टर एवं अभिलेख के अनुसार 4 एल0सी0डी0 व 1 प्लाजमा की बोली ₹44100/– में लगाई गई है जबकि सामान देते समय व रसीद जारी करते समय दो कम्पयूटर जिनका मूल्य ₹30000/– प्रति कम्पयूटर की दर से ₹60000/– था, को भी बिना किसी बोली के 4 एल0सी0डी0 व एक प्लाजमा के साथ दे दिया गया, जबकि नीलामी रजिस्टर व अभिलेख के अनुसार 2 कम्पयूटरों की बोली लगाई ही नहीं गई थी। उक्त अनियमितता के कारण मन्दिर न्यास को ₹60000/– की वित्तीय हानि हुई है, जिसका उत्तरदायित्व निर्धारण उपरान्त कृत कार्रवाई से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

12 मन्दिर न्यास की दुकान नम्बर–10 के किरायेदार श्री अनिल कुमार से किराये के रूप में ₹952/– की कम वसूली करनाः–

मन्दिर न्यास श्री ज्वालामुखी की दुकान नम्बर–10 के किराएदार श्री अनिल कुमार से माह 7/13 से 7/14 के दौरान दुकान से किराये के रूप में निर्धारित दर से कम दर से

किराये से वसूली करने के कारण ₹952/– की कम वसूली हुई है। उक्त कम वसूली का प्रकरण अंकेक्षण के दौरान मन्दिर न्यास के अधिकारियों के ध्यानार्थ लाया गया जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए मन्दिर न्यास द्वारा किराए के रूप में कम वसूली गई ₹952/– व ब्याज की ₹48 अर्थात कुल ₹1000/– की वसूली रसीद संख्या 21451 दिनाँक 3.8.14 द्वारा कर ली गई है तथा उक्त राशि की वसूली की सत्यापना अंकेक्षण के दौरान कर ली गई। अतः परामर्श दिया जाता है कि भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता न दोहराई जाए।

13 स्वीकृत बजट में ₹1313528/– का अधिक व्यय करने बारेः–

मन्दिर न्यास द्वारा वर्ष 2013 के दौरान निम्नलिखित शीर्षों/उपशीर्षों के अन्तर्गत स्वीकृत किए गए बजट प्रावधान से अधिक व्यय किया गया है जिसे सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाना अपेक्षित है। अतः इस प्रकार के व्यय के नियमितिकरण हेतु सक्षम प्राधिकारी से कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त की जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

क्र0सं0	शीर्ष का नाम	स्वीकृत बजट	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय
1	मन्दिर न्यास कर्मचारी वेतन	23000000	23242040	242040
2	दान/आर्थिक सहायता	1200000	1317020	117020
3	संस्कृत विद्यालय	100000	170963	70963
4	कार्यालय व्यय	300000	322433	22433
5	निविदा सूचना/प्रैस नोट	200000	219211	19211
6	मन्दिर मार्ग नं0 1 से 4 सफाई हेतु	650000	1117438	467438
7	सी0सी0टी0 कैमरे	–	360645	360645
8	बैंक चार्जिज	–	13778	13778
			योग	**₹1313528**

14 मन्दिर न्यास श्री ज्वालामुखी के कर्मचारियों को प्रोत्साहन के रूप में ₹2444903/– का अनियमित एवं गलत भुगतान करनाः–

व्यय की जाँच करने पर पाया गया कि आयुक्त मन्दिर न्यास एवं जिलाधीश काँगड़ा के कार्यालय आदेश संख्या 202–208 दिनाँक 7.3.13 की अनुपालना में वाऊचर संख्या 24 दिनाँक 28.3.13 के अन्तर्गत मन्दिर कोष से मन्दिर न्यास कर्मचारियों को ₹2444903/– का भुगतान प्रोत्साहन के रूप में किया गया है। उक्त प्रोत्साहन की राशि की गणना का आधार मन्दिर न्यास की वर्ष 2011 की आय की तुलना वर्ष 2012 की आय में हुई वृद्धि का दस प्रतिशत दर्शाया गया है। हिमाचल प्रदेश हिन्दु सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्व विन्यास

अधिनियम 1984 व काँगड़ा जिला मन्दिर न्यास कर्मचारी सेवा नियम 2000 के नियमों में मन्दिर कोष से मन्दिर न्यास कर्मचारियों को उक्त प्रकार की प्रोत्साहन की राशि देने का कोई प्रावधान नहीं है। फलस्वरूप प्रोत्साहन के रूप में मन्दिर कोष से व्यय की गई ₹2444903/– मन्दिर न्यास कोष पर उचित एवं वैध प्रभार न होकर अनियमित एवं अनाधिकृत प्रभार है। अतः उक्त अनियमित भुगतान का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा भविष्य में मन्दिर कोष से उक्त प्रकार के अनियमित एवं अनाधिकृत भुगतानों, जिनका मन्दिर न्यास अधिनियमों में कोई प्रावधान नहीं है, पर तुरन्त प्रभाव से रोक लगाई जाए ताकि मन्दिर कोष पर पड़ रहे अनावश्यक वित्तीय बोझ को रोक जा सके। इसके अतिरिक्त यहाँ यह भी उल्लेखित करना नितान्त अनिवार्य है कि वर्ष 2013 की आय में वर्ष 2012 की आय की तुलना ₹11604453/– की कमी हुई है। अतः प्रोत्साहन के रूप में किए गए गलत एवं अनियमित भुगतान की प्रथा को हमेशा–2 के लिए खत्म करना आवश्यक है।

15 टैक्सी किराए के रूप में मन्दिर अधिकारी श्री सुरेन्द्र शर्मा को ₹22915/– का गलत एवं अनियमित भुगतान करनाः–

व्यय की जाँच करने पर पाया गया कि मन्दिर अधिकारी द्वारा तहसील खुण्डियाँ का अतिरिक्त कार्यभार सम्भालने के कारण ज्वालामुखी से खुण्डियाँ व वापिसी यात्रा टैक्सी द्वारा करने के कारण मन्दिर कोष से टैक्सी भाड़े के रूप में निम्नलिखित राशियाँ आहरित की गई है।

क्र0सं0	वा0सं0	दिनाँक	टैक्सी द्वारा की गई कुल मात्रा	प्रति कि0मी0 दर	राशि
1	377	5.9.13	650	14.40	9360
2	15	17.6.13	350	12.00	4200
3	8	7.7.13	420	12.00	5040
4	8	9.8.13	380	14.00	5320
5	25	19.10.13	160	14.40	2304
6	22	16.12.13	450	14.40	6480
			2410कि0मी0	**14.40**	**32704**

उपरोक्त टैक्सी द्वारा यात्रा करने पर किए गए भुगतानो ंकी जाँच करने पर निम्नलिखित त्रुटियाँ/कमियाँ पाई गई है, जिनका निराकरण किया जाए।

(क) उपरोक्त 2410 कि0मी0 की टैक्सी द्वारा की गई यात्रा में से 1120 कि0मी0 की यात्रा मन्दिर कार्यों हेतु व 1290 कि0 यात्रा तहसील खुण्डियाँ का कार्य निर्वाहन करने हेतु की गई

है। फलस्वरूप मन्दिर न्यास कोष से केवल 1120 कि0मी0 की टैक्सी यात्रा हेतु टैक्सी का भाड़ा ही व्यय किया जा सकता था व शेष 1290 कि0मी0 यात्रा हेतु तहसील खुण्डियाँ से टैक्सी का भाड़ा व्यय किया जाना अनिवार्य था, क्योंकि तहसील का कार्य निर्वाहन करने हेतु सम्बन्धित तहसील खुण्डियाँ के स्थान मन्दिर कोष से टैक्सी किराए का भुगतान प्राप्त करना अनियमित है।

(ख) अवर सचिव (परिवहन) हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या TPT-F(5) 3/2003 दिनाँक 26.8.11 द्वारा साधारण टैक्सी किराए की दर ₹8.74 प्रति किलोमीटर निर्धारित की गई है। फलस्वरूप मन्दिर कार्यों हेतु की गई यात्रा 1120 कि0मी0 हेतु भी श्री सुरेन्द्र शर्मा को मन्दिर अधिकारी ₹8.74 प्रति कि0मी0 की दर से केवल ₹9789/– ही मन्दिर कोष से देय बनता है। अतः मन्दिर कोष से दिए गए अनाधिकृत/अनियमित एवं अधिक भुगतान ₹32704–₹9789=₹22915/– की वसूली उचित स्त्रोत से की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(ग) उपरोक्त उल्लेखित टैक्सी द्वारा की गई यात्रा से सम्बन्धित यात्रा का कार्यक्रम (Tour programme) सहायक आयुक्त मन्दिर से अनुमोदित नहीं करवाया है जिसे अनुमोदित न करवाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा इस सन्दर्भ में अब अपेक्षित कार्रवाई करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

16 डिग्री कॉलेज ज्वालामुखी को ₹40 लाख प्रदान करने बारेः–

जाँच के दौरान पाया गया कि आयुक्त मन्दिर के आदेशानुसार वर्ष 2013 में डिग्री कालेज ज्वालामुखी को ₹40 लाख प्रदान किए गए है, जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

क्र0सं0	दिनाँक	बिल संख्या	राशि
1	4.3.13	103	300000
2	18.3.13	114	700000
3	27.6.13	230	500000
4	28.6.13	267	500000
5	9.8.13	340	1000000
6	31.10.13	463	130000
7	5.12.13	493	370000
8	31.12.13	529	500000
		योग	**₹4000000**

यह राशि अनुदान/ग्रांट के रूप में दी गई है अथवा आर्थिक सहायता के रूप में दी गई है, इस बारे में कोई भी स्पष्टीकरण मन्दिर न्यास द्वारा नहीं दिया गया। इसके अतिरिक्त

सम्बन्धित शैक्षणिक संस्था से उक्त राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र भी निर्धारण प्रपत्र पर प्राप्त नहीं किए गए जिन्हें प्राप्त करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

17 विभिन्न पत्रिकाओं में विज्ञापन देने हेतु ₹40000/– का व्यय करने बारेः–

मन्दिर न्यास द्वारा वर्ष 2013 के दौरान विभिन्न स्मारिकों/पत्रिकाओं में न्यास की गतिविधियों के प्रकाशन हेतु ₹40000/– का व्यय किया गया है जोकि अनावश्यक व्यय को परिलक्षित करता है क्योंकि हिमाचल प्रदेश सरकार भाषा एवं संस्कृति विभाग के पत्र संख्या LCD-E(3)-18/2010 दिनाँक 26.12.12 द्वारा हिमाचल प्रदेश के सभी मन्दिर न्यासों को निर्देश दिए गए है कि मन्दिर न्यास कोष से किसी भी स्मारिका/पत्रिका में मन्दिर न्यास की गतिविधियों को प्रकाशित न किया जाए ताकि माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों की अनुपालना भी सम्भव हो सके। अतः भाषा एवं संस्कृति विभाग के स्पष्ट आदेशों के बावजूद भी मन्दिर न्यास कोष से विभिन्न पत्रिकाओं/स्मारिकों में विज्ञापन देने हेतु ₹40000/– का भुगतान जहाँ एक तरफ अनावश्यक व्यय को परिलक्षित करता है, वहीं दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश सरकार भाषा एवं संस्कृति विभाग के आदेशों की स्पष्ट अवहेलना है, जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए।

18 अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त किए गए दैनिक वेतन भोगियों को निर्धारित समयावधि से पूर्व स्थाई/नियमित नियुक्ति प्रदान करने बारेः–

मन्दिर न्यास के कर्मचारियों की सेवापंजिकाओं की जाँच करने पर पाया गया कि श्रीमती बृन्दला देवी व श्रीमती शकुन्तला देवी को दैनिक भोगी के रूप में आयुक्त मन्दिर एवं जिलाधीश काँगड़ा के आदेशानुसार क्रमशः 17.1.08 व 25.9.09 से अनुकम्पा के आधार पर दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी के रूप में नियुक्ति प्रदान की गई है। आयुक्त मन्दिर एवं जिलाधीश काँगड़ा के कार्यालय पत्र संख्या No.-CT-KGR-(B)(6)-12/2011, 632.639 दिनाँक 23.4.12 द्वारा उक्त दोनों दैनिक भोगी कर्मचारियों को दिनाँक 01.5.12 से नियमित स्थाई नियुक्ति (4900–10680) के वेतनमान में (1300 ग्रेड पे) सहित प्रदान की गई, जोकि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय–2 पर जारी किए निर्देशों की अवहेलना है। उक्त दोनों प्रकरणों में दिनाँक 01.05.12 को श्रीमती बृन्दला देवी सेवादार का 4 वर्ष 3 माह 15 दिन व श्रीमती शकुन्तला देवी जमादार का 2 वर्ष 7 माह व 6 दिन का कार्यकाल पूर्ण हुआ है जबकि नियमानुसार नियमित नियुक्ति हेतु दैनिक वेतनभोगी के रूप में न्यूनतम 8 वर्ष का सेवाकाल पूर्ण करना अनिवार्य है तथा इन प्रकरणों में आठ वर्ष की सेवा अवधि जोकि नियमित नियुक्ति प्रदान करने हेतु अनिवार्य शर्त है, को पूरा नहीं किया गया है। अतः नियमों के विरूद्ध निर्धारित

न्यूनतम सेवा अवधि पूर्ण किए बगैर ही उक्त दोनों कर्मचारियों को स्थाई वेतनमान में नियमित नियुक्ति प्रदान करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व न्यूनतम निर्धारित सेवा अवधि से पूर्व नियमित नियुक्ति प्रदान करने के कारण वेतन एवं भत्तों के रूप में अप–टू–डेट किए गए अधिक एवं गलत भुगतान की गणना मन्दिर न्यास द्वारा अपने स्तर पर करने के उपरान्त सम्पूर्ण राशि की वसूली सम्बन्धित कर्मचारियों से की जाए व आठ वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने के उपरान्त ही उक्त कर्मचारियों को दैनिक वेतन भोगी के रूप में ही वेतन दिया जाए। इस सन्दर्भ कृत कार्रवाई से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

19 श्री रमेश चन्द, राज मिस्त्री को सेवा निवृति उपदान के रूप में ₹1298/– का अधिक एवं गलत भुगतान करनाः–

श्री रमेश चन्द मिस्त्री को सेवानिवृति पर दिए गए भुगतानों की जाँच करने पर पाया गया कि उक्त कर्मचारी को सेवानिवृति उपदान के रूप में ₹1298/– का अधिक एवं गलत भुगतान किया गया है जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

जन्म तिथि	31.12.1955
प्रथम नियुक्ति की तिथि	7.8.1988
सेवानिवृति की तिथि	31.12.2013
सेवा अवधि	25 वर्ष 4 माह 24 दिन
मूल वेतन (पे–ग्रेड पे)	12020+2400
महंगाई भत्ता	11536
देय सेवा निवृति उपदान	25956/2X25½=330939
दिया गया सेवा निवृति उपदान	25956/2x25.6=332237
अधिक एवं गलत भुगतान	₹1298

अतः अधिक एवं गलत भुगतान की गई ₹1298/– की वसूली उचित स्त्रोत से की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

20 श्री प्रहलाद कुमार, सेवादार को सेवानिवृति उपदान के रूप में ₹923/– का अधिक एवं गलत भुगतान करनाः–

श्री प्रहलाद कुमार, सेवादार को सेवानिवृति पर दिए गए भुगतानों की जाँच करने पर पाया गया कि उक्त कर्मचारी को सेवानिवृति उपदान के रूप में ₹923/– का अधिक एवं गलत भुगतान किया गया है, जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

जन्म तिथि	1.8.1953
नियुक्ति की तिथि	7.3.1987
सेवानिवृति की तिथि	31.08.2013
सेवा अवधि	26 वर्ष 5 माह 24 दिन

मूल वेतन (पे–ग्रेड पे)	₹8320+1400
महंगाई भत्ता	8748
देय सेवा निवृति उपदान	18468 / 2X26½=244701
दिया गया सेवा निवृति उपदान	18468/2x26.6=245624
अधिक एवं गलत भुगतान	₹923

अतः अधिक एवं गलत भुगतान की वसूली उचित स्त्रोत से की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

21 श्री प्रेम बहादुर सेवादार की सेवापंजिका में 33 दिन की चिकित्सा अवकाश की प्रविष्टि न करनाः–

श्री प्रेम बहादुर, सेवादार की सेवापंजिका एवं व्यक्तिगत नस्ति की जाँच करने पर पाया गया कि उक्त कर्मचारी दिनाँक 4.6.10 से 14.6.10 के दौरान 11 दिन व दिनाँक 19.11.10 से 10.12.10 के दौरान 22 दिन अर्थात कुल 33 दिन चिकित्सा अवकाश पर रहा है। उक्त कर्मचारी की सेवापंजिका के अवकाश खाते में उक्त 33 दिनों का चिकित्सा अवकाश डेबिट करके की प्रविष्टि नहीं की गई जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा अब सेवा पंजिका वाँछित प्रविष्टियाँ करने के उपरान्त अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

22 निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त न करना व विभागीय न्यायोचितता तैयार न करनाः–

जाँच के दौरान पाया गया कि मन्दिर न्यास द्वारा करवाए गए विभिन्न निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त नहीं की है व न ही किसी भी कार्य की विभागीय न्यायोंचितता तैयार की है। नियमानुसार किसी भी कार्य को करने से पूर्व उस कार्य की तकनीकी स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त करनी अनिवार्य है व टैण्डर आमन्त्रित करने से पूर्व कार्य की विभागीय न्यायोचितता तैयार करनी भी अनिवार्य है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जो कार्य निष्पादित करवाया जाना है वह तकनीकी मापदण्डों के अनुरूप है तथा अमुक कार्य अत्याधिक उच्च दरों पर न करवाकर न्यायोचित दरों (Reasonable & Justified rate) पर करवाया गया है। मन्दिर न्यास के कनिष्ठ अभियन्ता के पास ₹50000/– तक के कार्यों की तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने की शक्तियाँ विहित है तथा ₹50000/– से अधिक के कार्यों की तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने हेतु मन्दिर न्यास के कनिष्ठ अभियन्ता सक्षम नहीं है। अतः उक्त राशि में अधिक राशि के कार्यों में सक्षम अधिकारी से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त न करने व किसी भी कार्य की विभागीय न्यायोचितता तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट करते हुए अंकेक्षणाधीन अवधि के दौरान करवाए गए समस्त निर्माण/मुरम्मत कार्यों की तकनीकी

स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त करनी सुनिश्चित की जाए व कार्यों की विभागीय न्यायोचितता तैयार की जानी सुनिश्चित की जाए ताकि यह सत्यापित किया जा सके कि करवाए गए कार्य निर्धारित तकनीकी मापदण्डों के अनुरूप है व न्यायोचित दरों पर ही करवाए गए है। इस सन्दर्भ में कृत कार्रवाई से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

23 मन्दिर न्यास श्री ज्वालामुखी में विभिन्न ठेकेदारों द्वारा किए गए कार्यों से 1.5% जल प्रभार की ₹52937/– की कटौती न करनाः–

मन्दिर न्यास श्री ज्वालामुखी में वर्ष 2013 के दौरान विभिन्न ठेकेदारों से करवाए गए नव निर्माण व मुरम्मत के कार्यों हेतु जल प्रभार की राशि की कटौती नहीं की है। इन कार्यों की माप पुस्तिकाओं एवं निर्माण से सम्बन्धित अन्य अभिलेख में ठेकेदारों द्वारा पानी की व्यवस्था अपने स्तर पर करने का कोई प्रमाण एवं साक्ष्य नहीं है। फलस्वरूप सम्पूर्ण निर्माण कार्यों एवं मुरम्मत कार्यों के बिलों का भुगतान करने से पूर्व कार्यों की लागत पर 1.5% की दर से जल प्रभार काटे जाने अनिवार्य थे। अतः निर्माण कार्यों के बिलों से 1.5% जल प्रभार न काटने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा जल प्रभार की सम्पूर्ण राशि की वसूली सम्बन्धित ठेकेदारों से की जानी अपेक्षित है। वर्ष 2013 के दौरान करवाए गए निर्माण कार्यों जिनके बिलों के भुगतान से पूर्व जल प्रभार की कटौती की जानी अनिवार्य थी, उनका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

Sr. No.	Vr. No.	Date	Name of work	Type of bill	Table work done	Water charges @ 1½%
1	14	2.2.13	C/O repair & maintenance in temple S/H P/L White washing & Distempring	1st & Final Bill	23582	354
2	14	2.2.13	C/O repair & maintenance in temple S/H: P/L repair & maintenance 15 mm Plaster, Flooring, woodworks	1st & Final Bill	27384	411
3	35	16.2.13	C/O boundary wall outer/inner side of langer bhawan, shaiya bhawan	Final Bill	316721	4751
4	7	1.4.13	C/O repair & maintenance in temple S/H: P/L grinding, rubbing & Polishing etc	First & Final Bill	31728	476
5	8	1.4.13	C/O repair & maintenance in temple	1st & Final Bill	10659	160

			S/H: P/L Cement, Plaster, white putty & distempering etc.			
6	3	8.6.13	C/O shop & Police control room at L.H.S. at main stair case temple	Final Bill	1135511	17033
7	21	29.7.13	P/L dismantling & existing W.C. block with E.A. office Temple & Providing with A/A for bathroom of mundan (Ceremony) temple shree J/Mukhi	1st & Final Bill	265993	3990
8	14	22.8.13	C/O Proposed U/G water tank on 1st floor office at L.H.S. main entrance gate on newly constructed shop & Ploice control room in temple	First & Final Bill	894268	13414
9	17	17.10.13	Providing/dismantling & Fixing new stainless steel railing of different design of 304 grade as per the direction of Honble M.L.A. Jawalamukhi	1st & Final Bill	191387	2871
10	18	17.10.13	C/O retaining wall & C/S drainage-M.S. railing for temple office residence shree Jawalamukhi	1st & Final Bill	103220	1548
11	10	20.11.13	C/O Miscelanious works in temple S/H: P/L R.C.C. Slab on empty portion & Providing granite slab benches at yard with new office in temple	Final Bill	301136	4517
12	15	16.12.13	C/O C.C. Path from office to class room in degree college shree Jawalamukhi	2nd & Final Bill	227461	3412
					Total	**₹52937**

24 लघु आपत्ति विवरणिकाः– यह अलग से जारी नहीं की गई है।

25 निष्कर्षः– लेखों के रखरखाव में अत्यन्त सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्याःफिन(एल0ए0)(एच)(2)सी(15)(11)(14)188/96–खण्ड–8–941–945 दिनांक 25.02.2015, शिमला–171009

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाती है :–

पंजीकृत 1 मन्दिर अधिकारी, मन्दिर न्यास श्री ज्वालामुखी, तहसील ज्वालामुखी, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर एक माह के भीतर इस विभाग को भेजें।

2 उपायुक्त कांगड़ा स्थित धर्मशाला एवं आयुक्त (मन्दिर) जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

3 निदेशक, (भाषा कला एवं संस्कृति विभाग) हि0प्र0 शिमला–9

4 अवर सचिव (भाषा) हि0प्र0 सरकार, शिमला–2

5 श्री राज कुमार अनुभाग अधिकारी द्वारा...............

हस्ता/
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

परिशिष्ट "A" **पैरा 1 (ग) के सन्दर्भ में**

(क) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 7.3.1987 से 31.12.95

1	पैरा–3 (क)	अनिर्णीत	(₹2608.82 रोकड़ वही के योग में कम दर्शाना व रोकड़ वही का बैंक खातों से मिलान न करने बारे)
2	पैरा–4 (क)	अनिर्णीत	(₹8877011/–का बारीदारों को भोग की राशि से अनाधिकृत भुगतान)
3	पैरा–4 (ग)	अनिर्णीत	(बारीदारों को ₹37180/–का अधिक भुगतान)
4	पैरा–5 (क) (3)	अनिर्णीत	(धरातल में मिटटी की खुदाई बारे एवं ₹6480/–अधिक भुगतान बारे)
5	पैरा–5 (क) (4) (1)	अनिर्णीत	(अतिरिक्त एवं प्रतिस्थापित मदो की स्वीकृति प्राप्त न करने बारे)
6	पैरा–5 (क) (5)	अनिर्णीत	(अधिक बिल मद संख्या 6 स्टोन फिलिंग के रूप में ₹114658.23 अधिक भुगतान बारे)
7	पैरा–5 (क) (6)	अनिर्णीत	(मद संख्या 7 स्टील के रूप में ₹148100/– अधिक भुगतान बारे)
8	पैरा–5 (क) (17)	अनिर्णीत	(₹19896/–की आयकर की कम कटौती बारे)
9	पैरा–5 (ख) (3)	अनिर्णीत	(₹576/–की कम कटौती बारे)
10	पैरा–5 (ग) (1)	अनिर्णीत	(अनुबन्ध की धारा 10–सी के अन्तर्गत ठेकेदार मैसर्ज विनय कुमार, राकेश कुमार को ₹93230/–का अधिक भुगतान करने बारे)
11	पैरा–5 (घ) (1)	अनिर्णीत	(मनोदीप सत्संग भवन के निर्माण कार्य में पाई गई गम्भीर अनियिमितताओं बारे)
12	पैरा–5 (घ) (2)	अनिर्णीत	(₹14491/–कम कटौती के कारण संविदाकार श्री राकेश कुमार बंटा को अधिक भुगतान)
13	पैरा–5 (घ) (5)	अनिर्णीत	(₹132.60 का अधिक भुगतान)

14	पैरा–5 (घ) (6)	अनिर्णीत	(₹837/–की वसूली न करने बारे)
15	पैरा–5 (ङ) (2)	अनिर्णीत	(₹4699.50 की कम कटौती के कारण संविदाकार को अधिक भुगतान करना)
16	पैरा–5 (च) (1)	अनिर्णीत	(₹8890.81 का अधिक भुगतान)
17	पैरा–5 (च) (2)	अनिर्णीत	(₹571.85 का अधिक भुगतान)
18	पैरा–5 (ज) (1)	अनिर्णीत	(संगमरमर पत्थर की खरीद में पाई गई अनियमितताओ बारे)
19	पैरा–5 (ज) (3)	अनिर्णीत	(संगमरमर पत्थर गत वर्ष की तुलना में उच्च दरों पर क्रय करना)
20	पैरा–5 (ज) (4)	अनिर्णीत	(₹380/–का टोल टैक्स के रूप में ठेकेदार को गलत भुगतान)
21	पैरा–5 (ज) (5)	अनिर्णीत	(स्टॉक रजिस्टर में संगमरमर पत्थर की 9.90 वर्ग फुट मात्रा कम दर्शाना)
22	पैरा–5 (ज) (6)	अनिर्णीत	(संगमरमर पत्थर की खपत अत्याधिक दर्शाना)
23	पैरा–5 (झ)	अनिर्णीत	(₹5039/–का अधिक भुगतान करने बारे)
24	पैरा–5 (ड)	अनिर्णीत	(₹1039/–का संविदाकार श्री सतीश कुमार को अधिक भुगतान करने बारे)
25	पैरा–5 (ढ़)	अनिर्णीत	(आयकर, सरचार्ज तथा बिक्रीकर की कम कटौती करके संविदाकारों को ₹93377/–का अधिक भुगतान करना)
26	पैरा–5 (ण)	अनिर्णीत	(स्टॉक अकाउंट (निर्माण) व स्टॉक अकाउंट (सामान्य) तैयार न करने बारे)
27	पैरा–5 (ण) (1)	अनिर्णीत	(79 सीमेन्ट बैग का दुर्विनियोजन)
28	पैरा–5 (ण) (2)	अनिर्णीत	(डिसटैम्पर का संदिग्ध दुर्विनियोजन)
29	पैरा–5 (ण) (3)	अनिर्णीत	(स्टॉक रजिस्टर नं0 3 पृष्ठ 210 में 600 ईटें कम दर्शाने बारे)
30	पैरा–5 (ण) (4)	अनिर्णीत	(रसीद संख्या 1226 दिनांक 29.8.93 में एक बोरी सीमेन्ट को योगफल में न दर्शाना)
31	पैरा–5 (ण) (5)	अनिर्णीत	(स्टॉक रजिस्टर नं0 5 पृष्ठ 25 का वास्तविक तथ्यों के

			आधार पर अभिलेख तैयार न करने बारे)
32	पैरा–5 (ण) (6)	अनिर्णीत	(चारकोल अकाउंट की ₹1237/–की वसूली बारे)
33	पैरा–5 (ण) (7)	अनिर्णीत	(खपत योग्य सामान की स्टॉक रजिस्टर में सामान की खपत से सम्बन्धित अनियमितता बारे)
34	पैरा–5 (ण) (8)	अनिर्णीत	(स्टॉक रजिस्टर नं0 3 पृष्ठ 132 में 21 लीटर पैन्ट का दुर्विनियोजन)
35	पैरा–5 (ण) (9)	अनिर्णीत	(13 सीमेन्ट बोरी की बकाया मात्रा कम दर्शाने बारे)
36	पैरा–5 (ण) (12)	अनिर्णीत	(टी0 एण्ड पी0 रजिस्टर का तैयार न करना)
37	पैरा–5 (ण) (13)	अनिर्णीत	(नॉन कन्जयूमेवल वस्तुओं को स्टॉक से खारिज करने बारे)
38	पैरा–5 (ण) (14)	अनिर्णीत	(स्टॉक रजिस्टर नं0 10 पृष्ठ 2 में तालों के अकाऊंट बारे)
39	पैरा–5 (ण) (15)	अनिर्णीत	(स्थानांतरित निर्माण सामग्री की स्थानातरण सम्बन्धी प्रविष्टि न करना)
40	पैरा–5 (ण) (16)	अनिर्णीत	(स्टॉक रजिस्टर के पृष्ठ संख्या 154–55 के अनुसार 20 एम0एम0 डाया सरियों की बकाया मात्रा 1365.23 कि0ग्रा0 का दुर्विनियोजन करने बारे)
41	पैरा–5 (ण) (17)	अनिर्णीत	(यात्री निवास सामग्री के स्टॉक लेखों बारे)
42	पैरा–5 (ण) (18)	अनिर्णीत	(₹37400/–की सीमेन्ट की वसूली बारे)
43	पैरा–5 (ण) (19)	अनिर्णीत	(स्क्रैप का लेखा जोखा न रखने बारे)
44	पैरा–6 (क)	अनिर्णीत	(850 ग्राम 630 मिली ग्राम सोना तथा 18 किलो 283 ग्राम 400 मिली ग्राम चांदी का स्टॉक में लेखा न रखने बारे)
45	पैरा–6 (ग)	अनिर्णीत	(गल्लों में चांदी चढ़वाना तथा दरवाजों की मुरम्मत करवाने बारे)
46	पैरा–6 (घ)	अनिर्णीत	(चांदी के बर्तन बनवाने बारे)
47	पैरा–6 (ज)	अनिर्णीत	(33 ग्राम नगों की स्टॉक प्रविष्टि न दर्शाने बारे)
48	पैरा–6 (झ)	अनिर्णीत	(मन्दिर में प्राप्त सोने की मात्रा 43 ग्राम 400 मिली ग्राम

			व चांदी की मात्रा 1 किलो 143 ग्राम 500 मिली ग्राम को स्टॉक में न दर्शाने बारे)
49	पैरा–7 (क)	अनिर्णीत	(अवधि 7.3.87 से 12.8.89 तक के प्राप्त फटे पुराने नोटो का लेखा प्रस्तुत न करने बारे)
50	पैरा–9 (ग)	अनिर्णीत	(दिनांक 31.12.95 तक भदन आय प्राप्ति का अभिलेख तैयार करने बारे)
51	पैरा–9 (घ)	अनिर्णीत	(एकत्रित आय को देरी से जमा करवाना व एकत्रित आय की उगाही की तिथि न दर्शाने बारे)
52	पैरा–9 (च)	अनिर्णीत	(प्रतिभूति राशि का जमा न करने व इसका गबन करने बारे)
53	पैरा–9 (छ)	अनिर्णीत	(₹6611/–का कम ब्याज लगाये जाने बारे)
54	पैरा–9 (ब)	अनिर्णीत	(वस्त्रों की निलामी बारे)
55	पैरा–9 (य)	अनिर्णीत	(₹3930/–की वसूली बारे)
56	पैरा–9 (र)	अनिर्णीत	(दुकान किराया लेखे बारे)
57	पैरा–9 (ष)	अनिर्णीत	(श्री उदय कुमार से दुकान किराए कें रूप में ₹1254/–की वसूली बारे)
58	पैरा–9 (ह)	अनिर्णीत	(दुकान किराए के रूप में ₹4824/–की वसूली बारे)
59	पैरा–10 (क)	अनिर्णीत	(कर्मचारियों की नियुक्ति बारे)
60	पैरा–10 (घ)	अनिर्णीत	(सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों से आवास किराये तथा बिजली के बिलों की वसूली न करने बारे)
61	पैरा–11 (क)	अनिर्णीत	(₹27000/–का मन्दिर न्यास निधि से संदिग्ध गबन)
62	पैरा–11 (ख)	अनिर्णीत	(₹1000/–का श्री आर0एस0 पठानिया को अनियमित भुगतान)
63	पैरा–11 (च)	अनिर्णीत	(अग्रिम ₹22225/– को व्यय बिलों, टिकटों व रसीदों के बगैर समायोजित करना)
64	पैरा–11 (छ) (2)	अनिर्णीत	(किए गए भुगतान की स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त न करने बारे)
65	पैरा–11 (ज) (1)	अनिर्णीत	(₹1024.38 का रोकड़ वही में इन्द्राज न करके

			दुर्विनियोजन करने बारे)
66	पैरा–11 (ज) (2)	अनिर्णीत	(भुगतान की स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त न करके भुगतान किये जाने बारे)
67	पैरा–11 (द)	अनिर्णीत	(₹1094 / –का यात्रा भत्ते के रूप में भुगतान बारे)
68	पैरा–11 (घ)	अनिर्णीत	(₹600 / – के स्टॉक का दुरूपयोग)
69	पैरा–11 (ल)	अनिर्णीत	(₹500 / –विज्ञापन प्रकाशन हेतु भुगतान करने बारे)
70	पैरा–11 (श)	अनिर्णीत	(₹3459 / – की मैसर्ज जय दुर्गे ढ़ाबा से वसूली करने बारे)
71	पैरा–11 (ह)	अनिर्णीत	(स्टॉक प्रविष्टि का न किया जाना)
72	पैरा–11 (क्ष)	अनिर्णीत	(सक्षम अधिकारी द्वारा भुगतान आदेश पारित किए बगैर ही भुगतान किया जाना)
73	पैरा–11 (क्ष) (पफ)	अनिर्णीत	(₹14386 / –का अधिक भुगतान)
74	पैरा–11 (क्ष) (फफ)	अनिर्णीत	(₹6421 / –का अधिक भुगतान)
75	पैरा–12 (क)	अनिर्णीत	(श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाये गई अन्य वस्तुओं का स्टॉक अकाऊंट)
76	पैरा–12 (ख)	अनिर्णीत	(₹18267 / –की सोडियम लाईटों का नगर पंचायत ज्वाला जी को गलत हस्तांतरण बारे)
77	पैरा–12 (ग)	अनिर्णीत	(बिजली के सामान का स्टॉक रजिस्टर में कम इन्द्राज करने बारे)
78	पैरा–12 (घ)	अनिर्णीत	(श्रद्धालुओं द्वारा दान में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का स्टॉक रजिस्टर में कम इन्द्राज करना)
79	पैरा–12 (ड़)	अनिर्णीत	(श्रद्धालुओं से प्राप्त सामान को स्टॉक रजिस्टर में लेखाबद्ध करते समय सही खातों में इनकी प्रविष्टियाँ न करना)
80	पैरा–12 (झ)	अनिर्णीत	(नारियल की बिक्री से ₹11425 / –कम वसूली बारे)
81	पैरा–12 (त)	अनिर्णीत	(₹1410 / –की वसूली बारे)
82	पैरा–12 (थ)	अनिर्णीत	(10 स्टील की थालियों की अनियमित अदायगी)

83	पैरा–12 (द)	अनिर्णीत	(89 गिलास स्टील, 10 थालियां स्टील, 28 कौलियां स्टील, 2 प्लेट स्टील व 3 प्रैशर कुकर का स्टॉक में कम दर्शाया जाना)
84	पैरा–12 (ध)	अनिर्णीत	(101 किलो ग्राम पीतल की घंटियों का दुर्विनियोंजन)
85	पैरा–12 (न)	अनिर्णीत	(स्टॉक को गलत रूप से कम करके दिखाना)
86	पैरा–12 (प)	अनिर्णीत	(बिना किसी औपचारिकता को पूर्ण किए पुराने वर्तनों को बदलना)
87	पैरा–12 (फ)	अनिर्णीत	(अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट के कार्यालय द्वारा आठ चारपाईयां कम वापिस करने बारे)
88	पैरा–13 (क)	अनिर्णीत	(पशुधन लेखा बारे)
89	पैरा–13 (ख)	अनिर्णीत	(अवधि 7.3.87 से 17.11.87 तक का पशुधन स्टॉक रजिस्टर का अंकेक्षण में प्रस्तुत न किया जाना)
90	पैरा–13 (ड़)	अनिर्णीत	(दो बकरों की कीमत की वसूली बारे)
91	पैरा–13 (छ)	अनिर्णीत	(दो बकरों को बेचने से प्राप्त आय को रोकड़ वही/डे बुक में इन्द्राज न करना)
92	पैरा–13 (ज)	अनिर्णीत	(दिनांक 16.4.89 को एक बड़ा बकरा पुलिस विभाग धर्मशाला को दिए जाने बारे)
93	पैरा–13 (झ)	अनिर्णीत	(दिनांक 25.5.89 को पशुधन भण्डार रजिस्टर के पृष्ठ 16 पर अंतशेष कम दर्शाने बारे)
94	पैरा–13 (ञ)	निर्णीत	(बकरों को मरा दर्शाकर स्टॉक रजिस्टर से खारिज करने बारे – अतिरिक्त निदेशक महोदय के निरीक्षण रिपोर्ट संख्या 1–548/2011–फिन (एल0ए0) भाग–एक दिनाँक 09.09.14 द्वारा निर्णीत)
95	पैरा–14 (क)	अनिर्णीत	(बजट की स्वीकृत राशि से अधिक व्यय करने बारे)
96	पैरा–14 (ख)	अनिर्णीत	(बजट में प्रत्येक मद के लिए आय–व्यय का अलग–2 प्रावधान न रखा जाना)
97	पैरा–14 (ग)	अनिर्णीत	(वाहन पर व्यय बारे)
98	पैरा–14 (घ)	अनिर्णीत	(विज्ञापन पर व्यय बारे)

99	पैरा–15 (क)	अनिर्णीत	(वाहन का बिना स्वीकृति के प्रयोग करने बारे)
100	पैरा–15 (ख)	अनिर्णीत	(सरकारी वाहन का हिमाचल प्रदेश के क्षेत्राधिकार से बाहर ले जाना)
101	पैरा–15 (ग)	अनिर्णीत	(मन्दिर वाहन के अनावश्यक प्रयोग बारे)
102	पैरा–15 (घ)	अनिर्णीत	(लॉग बुक के पृष्ठ 93 में की गई प्रविष्टि के अनुसार मन्दिर वाहन द्वारा 221 कि0मी0 की यात्रा की वसूली बारे)
103	पैरा–15 (ङ)	अनिर्णीत	(मन्दिर वाहन का अन्य व्यक्तियों/विभागों/ संस्थाओं द्वारा प्रयोग करने सम्बन्धित यात्रा की वसूली न करना)
104	पैरा–15 (च)	अनिर्णीत	(सरकारी वाहन में यात्रा का उद्देश्य न दर्शाया जाना)
105	पैरा–16 (क)	अनिर्णीत	(दवाईयों का नवरात्रों तथा मेलों के दौरान जनरल हस्पताल ज्वालामुखी द्वारा खरीद करके बिलों का मन्दिर न्यास द्वारा भुगतान किया जाना)
106	पैरा–16 (ख)	अनिर्णीत	(दवाईयों की बकाया मात्रा को जारी न करने बारे)
107	पैरा–16 (ग)	अनिर्णीत	(मन्दिर न्यास निधि से विभिन्न संस्थाओं को सहायता अनुदान जारी करने बारे)
108	पैरा–16 (ङ से ञ)	अनिर्णीत	
(ख) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 1.1.99 से 31.12.99			
1	पैरा–9	अनिर्णीत	(सैन्ट्रल पूल में मन्दिर न्यास खाते से भेजी जाने वाली राशि के लेखे वितरण बारे)
2	पैरा–10	अनिर्णीत	(मै0 गुम्मन आर्किटेक्टस फोरम प्रा0लि0 चण्डीगढ़ को ₹13138/–के अधिक भुगतान बारे)
3	पैरा–11 (क)	अनिर्णीत	(कर्मचारियों को मन्दिर के लंगर में खाने की सुविधा के फलस्वरूप लगभग ₹82000/–का अधिक भुगतान करने बारे)
4	पैरा–11 (ख)	अनिर्णीत	(₹34650/–की वसूली बारे)
5	पैरा–12 (ग)	अनिर्णीत	(आयुक्त (मन्दिर) एवं जिलाधीश कांगड़ा से दूरभाष सुविधा की कार्योत्तर स्वीकृति लिए बिना ही मन्दिर

			अधिकारी के निवास पर दूरभाष की सुविधा प्रदान करने बारे)
6	पैरा–13	अनिर्णीत	(आयुक्त मन्दिर के अनुमोदन बिना कर्मचारियों की नियुक्ति करने बारे)
7	पैरा–14	अनिर्णीत	(दुकान किराया लेखे बारे)
8	पैरा–19	अनिर्णीत	(श्री ज्वाला जी मन्दिर न्यास में स्थापित सभी मूर्तियों का विवरण तैयार करने बारे)
9	पैरा–20	अनिर्णीत	(मन्दिर वाहन एच0पी0–36–002 द्वारा प्रदेश के बाहर की गई यात्राओं के सम्बन्ध में)
10	पैरा–22	अनिर्णीत	(संविदाकारों को किए गए भुगतानों मे से आयकर अधिभार और बिक्री कर की कटौती न करने बारे)
11	पैरा–23 (क)	अनिर्णीत	(सविदाकार को 2.23 घनमीटर देने ईंटों बारे)
(ग) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 1.1.2000 से 31.12.2000			
1	पैरा–4 (घ)	अनिर्णीत	(प्रत्येक माह के अन्त में रोकड़ वही के शेष का बैंक की पास बुक के शेष के साथ मिलान किये जाने बारे)
2	पैरा–5	अनिर्णीत	(₹15003/–का संम्भावित दुर्विनियोजन/गबन)
3	पैरा–6	अनिर्णीत	(भण्डार में दान स्वरूप प्राप्त हजारों रूपये की वस्तुओं का दुरूपयोग)
4	पैरा–7 (क)	अनिर्णीत	(लंगर उपभोग हेतु भण्डार से जारी की गई वस्तुओं का दुरूपयोग)
5	पैरा–8 (1)	अनिर्णीत	(कांगड़ा मन्दिर न्यास कर्मचारी सेवा (संशोधित वेतनमान) नियम 2000 को सरकार से अनुमोदित करवाने बारे)
6	पैरा–8 (3)	अनिर्णीत	(कैश अथवा सम्पत्ति इत्यादि के कार्यों पर नियुक्ति कर्मचारियों से प्रतिभूति राशि लेने बारे)
7	पैरा–8 (5)	अनिर्णीत	(श्रीमति पुष्पा मिश्रा की मालिन के पद पर नियुक्ति की कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करने बारे)

8	पैरा–11	अनिर्णीत	(पंजाब नैशनल बैंक की बहु लाभकारी योजना में गलत ढ़ंग से विनिवेश करने पर लगभग ₹1100 की हानि बारे)
9	पैरा–19 (क)	अनिर्णीत	(श्री रमेश चन्द ठेकेदार द्वारा स्टॉफ क्वार्टर के पीछे डंगा लगाने हेतु 7 बोरी सीमेन्ट के दुरूपयोग बारे)
10	पैरा–19 (ग)	अनिर्णीत	(सरकारी भूमि पर बिना किसी अनुबन्ध के लगभग 6 लाख रूपये की लागत से कार पार्किंग का निर्माण बारे)
11	पैरा–19 (घ)	अनिर्णीत	(₹41170/–का ठेकेदार श्री रमेश बन्टा को अनुपयोगी व्यय)
12	पैरा–19 (ङ)	अनिर्णीत	(₹16450/–का श्री रमेश चन्द ठेकेदार द्वारा सम्भावित दुरूपयोग)
13	पैरा–20	अनिर्णीत	(बिजली के बिलों की ₹3932/–का विद्युत विभाग को अधिक भुगतान)
14	पैरा–21	अनिर्णीत	(₹1000/–के यात्रा व्यय का भुगतान करने बारे)
15	पैरा–22	अनिर्णीत	(गैस के बिलों के भुगतान में ₹417/–का आकाश गैस एजैन्सी देहरा को अधिक भुगतान बारे)
16	पैरा–23	अनिर्णीत	(विभिन्न क्रय की गई वस्तुओं को स्टॉक में न लिया जाना)
17	पैरा–24	अनिर्णीत	(दुकान किराया लेखे बारे)
18	पैरा–25 (ख)	अनिर्णीत	(5 ग्राम सोना व 100 ग्राम चांदी के दुरूपयोग बारे)
19	पैरा–26	अनिर्णीत	(सहायक आयुक्त (मन्दिर) एवं उपमण्डल अधिकारी (ना0) देहरा के कार्यालय को मन्दिर से जारी किए गए सामान बारे)
20	पैरा–27	अनिर्णीत	(मेलों के दौरान सफाई व्यवस्था बनाए रखने हेतु नगर पंचायत ज्वालामुखी द्वारा बुलाये गये अतिरिक्त सफाई कर्मचारी व सामान का भुगतान मन्दिर द्वारा करने बारे)

21	पैरा–29 (क)	अनिर्णीत	(10 नए सूचना पट्ट की खरीद व लिखाई हेतु भुगतान की गई ₹2562/–बारे)
22	पैरा–29 (ख)	अनिर्णीत	(मन्दिर में कैमरे लगाने हेतु ₹36575/–के भुगतान बारे)
23	पैरा–29 (ग)	अनिर्णीत	(बिना निविदा के ₹14000/–के फर्नीचर की खरीद बारे)
24	पैरा–29 (ङ)	अनिर्णीत	(₹3575/–डीजल बिल के भुगतान बारे)
(घ) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 1.1.2001 से 31.12.2001			
1	पैरा–6 (1)	अनिर्णीत	(कैश बुक का अनुचित/त्रुटिपूर्ण रखरखाव बारे)
2	पैरा–7 (1)	अनिर्णीत	(सेवा पंजिका पूर्ण रूप से तैयार न करने व कोई भी सेवा पंजिका सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित न करने बारे)
3	पैरा–10	अनिर्णीत	(स्थाई वेतन व दैनिक वेतन पर रखे बेलदार/सेवादारों को ₹40/–प्रतिमाह की दर से चिकित्सा प्रतिभूति भत्ते कुल ₹4400/–का अनियमित भुगतान करने बारे)
4	पैरा–17	अनिर्णीत	(बिजली के बिलों के रूप में ₹11292/–का विद्युत विभाग को अधिक भुगतान करने बारे)
5	पैरा–18	अनिर्णीत	(₹985/–का श्री उपेन्द्र सिंह पेन्टर को अधिक भुगतान करने बारे)
6	पैरा–19	अनिर्णीत	(सहायक आयुक्त (मन्दिर) उप मण्डल अधिकारी (ना0) देहरा के कार्यालय में रंग रोगन हेतु मन्दिर खाते से कुल ₹11958/–के व्यय करने बारे)
7	पैरा–20	अनिर्णीत	(अष्टभुजा मन्दिर के पास पार्किंग स्थल व बाथरूम का निर्माण करने बारे)
8	पैरा–21	अनिर्णीत	(मेलों के दौरान सफाई व्यवस्था बनाए रखने हेतु नगर पंचायत ज्वालामुखी द्वारा बुलाए गए अतिरिक्त कर्मचारियों को भुगतान करने बारे)

9	पैरा–22	अनिर्णीत	(दूरभाष पर ₹44192/–का अत्याधिक व्यय करने बारे)
10	पैरा–24	अनिर्णीत	(अग्रिम धन ₹2001/–बारे)
11	पैरा–25	अनिर्णीत	(निजी टैक्सी द्वारा यात्रा करने के कारण ₹450/–का भुगतान करने बारे)
12	पैरा–27	अनिर्णीत	(बजट में बिना प्रावधान से किए गए विज्ञापन पर व्यय करने बारे)
13	पैरा–28	अनिर्णीत	(बजट में प्रावधान के बगैर ही केन्द्रीय पूल धर्मशाला को ₹4,00,000/–भेजने बारे)
14	पैरा–29	अनिर्णीत	(न्यास वाहन से यात्रा करने बारे)
15	पैरा–30	अनिर्णीत	(₹3862/–के 12 गैस सिलैण्डरों के दुरूपयोग बारे)
16	पैरा–31 (क)	अनिर्णीत	(₹1350/–के दुरूपयोग बारे)
17	पैरा–31 (ख)	अनिर्णीत	(कांगड़ा होल सेल को0 कन्जयूमर एण्ड मार्किटिंग फैडरेशन लि0 से कय किए गए राशन बारे)
18	पैरा–31 (ग)	अनिर्णीत	(लंगर में खाद्य सामग्री के दुरूपयोग बारे)
19	पैरा–32	अनिर्णीत	(श्री कपिल देव सूद (एडवोकेट) को किए गए ₹19000/– के भुगतान बारे)
(ङ) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 1.1.2002 से 31.12.2002			
1	पैरा–4 (1)	अनिर्णीत	(बैंक समाधान विवरण–पंजाब नैशनल बैंक बारे)
2	पैरा–4 (2)	अनिर्णीत	(बैंक समाधान विवरण–सैन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया बारे)
3	पैरा–5	अनिर्णीत	(चढ़ावे में प्राप्त विदेशी मुद्रा के रखरखाव बारे)
4	पैरा–6 (क)	निर्णीत	(393 ग्राम अशुद्ध सोना – अतिरिक्त निदेशक महोदय के निरीक्षण रिपोर्ट संख्या 1–548/2011–फिन (एल0ए0) भाग–एक दिनाँक 09.09.14 द्वारा निर्णीत तथा पैरा वर्तमान अंकेक्षण में तथ्यों सहित पुनः

			प्रारूपित)
5	पैरा–6 (ख)	निर्णीत	(सोने में 393 ग्राम अन्तर बारे अतिरिक्त निदेशक महोदय के निरीक्षण रिपोर्ट संख्या 1–548/2011–फिन (एल0ए0) भाग–एक दिनाँक 09.09.14 द्वारा निर्णीत तथा पैरा वर्तमान अंकेक्षण में तथ्यों सहित पुनः प्रारूपित
6	पैरा–6 (ग)	निर्णीत	(2 किलो 425 ग्राम 259 मिली ग्राम सोने में खोट दर्शाने बारे – अतिरिक्त निदेशक महोदय के निरीक्षण रिपोर्ट संख्या 1–548/2011–फिन (एल0ए0) भाग–एक दिनाँक 09.09.14 द्वारा निर्णीत)
7	पैरा–6 (घ) (1)	अनिर्णीत	(भेंट स्वरूप प्रदान किए गए चांदी के सिक्कों का वितरण मन्दिर अधिकारी द्वारा सत्यापित न करने बारे)
8	पैरा–6 (घ) (2)	अनिर्णीत	(विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति हेतु चांदी जारी करके स्टॉक रजिस्टर से खारिज न करने बारे)
9	पैरा–7 (क)	अनिर्णीत	(आयुक्त मन्दिर एवं जिलाधीश कांगड़ा स्थित धर्मशाला द्वारा न्यास के कर्मचारियों के लिए बनाए गए सेवा नियम के सन्दर्भ में)
10	पैरा–7 (घ)	अनिर्णीत	(स्थाई वेतन पर रखे गए कर्मचारियों को किया जा रहा चिकित्सा प्रतिपूर्ति भत्ते का गलत भुगतान)
11	पैरा–7 (च) (3)	अनिर्णीत	(श्री प्रबल कुमार शास्त्री को मुख्य मन्दिर में हवन करने के एवज में ₹11/–की दैनिक दक्षिणा/मानदेय का भुगतान करने बारे)
12	पैरा–7 (छ)	अनिर्णीत	(श्रीमति पुष्पा देवी की मालिन के पद पर नियुक्ति बारे)
13	पैरा–7 (छ) (2)	अनिर्णीत	(श्रीमति पुष्पा देवी को वेतन एवं भत्तों के रूप में ₹10080/–का अधिक भुगतान)

14	पैरा–7 (ज)	अनिर्णीत	(एक वर्ष का सेवाकाल पूर्ण करने से पूर्व ही वार्षिक वेतन वृद्धि का प्रदान किया जाना)
15	पैरा–7 (झ)	अनिर्णीत	(श्री भवनीश कुमार की दैनिक वेतन भोगी के रूप में नियुक्ति बारे)
16	पैरा–7 (ट)	अनिर्णीत	(कांगड़ा शैली के चित्रकार श्री जोगिन्द्र सिंह द्वारा तैयार किए गए चित्रों का कोई अभिलेख व चित्र न्यास कार्यालय में उपलब्ध न होने बारे)
17	पैरा–7 (ठ) (2)	अनिर्णीत	(श्री कुलदीप कुमार सुपुत्र श्री चन्द (सहायक पुजारी) की नियुक्ति में दिए गए पुलिस प्रमाण पत्र बारे)
18	पैरा–9	अनिर्णीत	(मन्दिर न्यास द्वारा अपने पुराने 5 किराएदारों को प्रतिवर्ष लगभग 2 लाख 44 हजार 800/–का अनुचित भुगतान करना)
19	पैरा–10	अनिर्णीत	(जे.पी. ईण्डस्ट्री द्वारा बनाई गई माता जी की रसोई के उदघाटन के अवसर पर कुल ₹106999/–की मूर्तियों इत्यादि का उपहार के रूप में वितरण)
20	पैरा–10 (क)	अनिर्णीत	(सहायक आयुक्त (मन्दिर) एवं उप मण्डल अधिकारी (ना0) देहरा द्वारा आयुक्त (मन्दिर) एवं जिलाधीश कांगड़ा की विहित शक्तियों के उपयोग बारे)
21	पैरा–10 (ख) (1)	अनिर्णीत	(क्र0सं0 1 से 3 तक वर्णित कुल ₹86889/–की चांदी की मूर्तियों के वितरण बारे)
22	पैरा–10 (ख) (2)	अनिर्णीत	(चांदी की मूर्तियों का वितरण आयुक्त मन्दिर की स्वीकृति के बिना करने बारे)
23	पैरा–10 (ख) (3)	अनिर्णीत	(चांदी की मूर्तियों का क्रय बिना निविदाएं आमन्त्रित किए व बिना आपूर्ति आदेश दिए करने तथा अधिकारी/समिति द्वारा मूर्तियों का वजन सत्यापित न करने बारे)
24	पैरा–10 (ख) (4)	अनिर्णीत	(श्री विनोद कुमार सेवादार को मूर्तियॉ लाने के लिए चण्डीगढ़ से ज्वालामुखी तक किया गया

			₹2000/–का भुगतान)
25	पैरा–10(ख)(4)(क)	अनिर्णीत	(मूर्तियों की खरीद दिल्ली से दर्शाए जाने बारे)
26	पैरा–10(ख)(4)(ख)	अनिर्णीत	(मूर्तियों को टैक्सी द्वारा दिनांक 12.4.02 को लेकर आना जबकि विक्रय/खरीद बिल पर दिनांक 13.4.02 को दर्शाया जाना)
27	पैरा–10 (ख) 4 (ग)	अनिर्णीत	(उच्च व जिम्मेवार अधिकारी द्वारा मूर्तियां न मंगवा कर सेवादार से मूर्तियां मंगवाने बारे)
28	पैरा–10 (ख) (5)	अनिर्णीत	(मन्दिर न्यास के पास मौजूद चांदी से मूर्तियों न बनवाकर नए चांदी की खरीद बारे)
29	पैरा–10(ख)(5)(क)	अनिर्णीत	(क्र0सं0 4, 5, 6, 7 पर वर्णित ₹16180/–की मूर्तियों का क्रय बिना निविदाएं आमन्त्रित किए व बिना आपूर्ति पत्र जारी किए करना व सामान की स्टॉक प्रविष्टि न करना)
30	पैरा–10(ख)(5)(ख)	अनिर्णीत	(क्र0सं0 8 पर वर्णित 50 फोटो ₹30/–प्रति फोटो की दर क्रय हेतु निविदाएं आमंत्रित न करना व स्टॉक प्रविष्टि भी न करना व ₹1350/– के किए गए भुगतान की सक्षम अधिकारी से कार्योंतर स्वीकृति प्राप्त न करने बारे)
31	पैरा–10 (ख)(5)(ग)	अनिर्णीत	(क्रम संख्या 9 पर वर्णित 9 शालों के वितरण बारे)
32	पैरा–12	अनिर्णीत	(मन्दिर न्यास द्वारा शिक्षा समिति ज्वालामुखी को दिए गए ₹5,00,000/–के अनुदान/आर्थिक सहायता के सन्दर्भ में)
33	पैरा–14	अनिर्णीत	(मन्दिर न्यास श्री ज्वालामुखी के परिसर में स्थित गौरख डिब्बी मन्दिर को न्यास के अन्तर्गत लाए जाने बारे)
34	पैरा–15 (ग)	अनिर्णीत	(श्री डी0एन0कपूर को प्रतिभूति के तौर पर ₹2 लाख 25 हजार की बैंक गारन्टी प्रदान करने बारे)
35	पैरा–15 (घ)	अनिर्णीत	(श्री डी0एन0 कपूर द्वारा यात्री निवास के अन्य खाली

			भाग के नाजायज ढंग से प्रयोग करने के सन्दर्भ में)
36	पैरा–16 (क)	अनिर्णीत	(पुजारियों के लिए पुनश्चर्या कार्यक्रम की प्रदेश सरकार से कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करने व पुजारियों के लिए आयोजित पुनश्चर्या कार्यक्रम के प्रसंग में किए गए व्यय को नियमित करवाने बारे)
37	पैरा–16 (ख)	अनिर्णीत	(प्रशिक्षण के लिए विद्वानों को पाठ्यक्रम तथा सहायक सामग्री भाषा एवं संस्कृति विभाग द्वारा उपलब्ध न करवाकर यह सामग्री मन्दिर न्यास द्वारा उपलब्ध करवाने बारे)
38	पैरा–16 (ग)	अनिर्णीत	(कार्यक्रम की समाप्ति के उपरान्त किए गए व्यय बारे)
39	पैरा–16 (घ)	अनिर्णीत	(शालों के वितरण बारे)
40	पैरा–16 (ङ)	अनिर्णीत	(₹1000/– की कैसेटों के क्रय करने बारे)
41	पैरा–16 (च)	अनिर्णीत	(बिना निविदाएं आमन्त्रित किए तथा बिना स्टॉक प्रविष्टि किए वीडियो कैसेटों के क्रय बारे)
42	पैरा–17 (1)	अनिर्णीत	(सहायक आयुक्त (मन्दिर) द्वारा आयुक्त (मन्दिर) के आदेशों की अवहेलना करते हुए अपनी मर्जी से किराये की जगह अधिक भुगतान करने बारे)
43	पैरा–17 (2)	अनिर्णीत	(सहायक आयुक्त (मन्दिर) द्वारा आयुक्त (मन्दिर) के आदेशों की अवहेलना करते हुए अपनी मर्जी से किराये की जगह अधिक भुगतान बारे)
44	पैरा–19 (च)	अनिर्णीत	(शहीद योगिन्द्र सिंह गैस सर्विस ज्वालामुखी को ₹2530/–का अधिक भुगतान करना)
45	पैरा–20 (क)	अनिर्णीत	(विद्युत विभाग को बिजली बिलों का अधिक भुगतान करने बारे)
46	पैरा–20 (ख)	अनिर्णीत	(मन्दिर न्यास में विद्युत विभाग का नियन्त्रण कनिष्ठ अभियन्ता से करवाने व विद्युत के प्रत्येक भुगतान को सत्यापित करवाने बारे)
47	पैरा–20 (ग)	अनिर्णीत	(टेलीफोन बिल का 15 माह के पश्चात भुगतान करने बारे)

48	पैरा–20 (घ)	अनिर्णीत	(टैलीफोन रजिस्टर का निर्माण न करने बारे)
49	पैरा–21	अनिर्णीत	(मेलों के दौरान सफाई व्यवस्था हेतु 60 कर्मचारियों के आने जाने के किराए की ₹6000/–के सम्बन्ध में टिकटों को अंकेक्षण मे प्रस्तुत न किए जाने बारे)
49	पैरा–24	अनिर्णीत	(श्री नरेन्द्र कुमार को ₹5000/–के भुगतान बारे)
50	पैरा–25 (क)	अनिर्णीत	(₹2,00,000/–को केन्द्रीय पूल में डालने से सम्बन्धित रसीद की प्रति व हिमाचल प्रदेंश सरकार द्वारा केन्द्रीय पूल के गठन के सम्बन्ध में जारी अधिूसचना प्रस्तुत न करने बारे)
51	पैरा–25 (ख)	अनिर्णीत	(हिमाचल प्रदेश के मन्दिरों के रख–रखाव के लिए आवश्यक सुझाव देने हेतु गठित समिति के चेयरमैन श्री वशमीर सिंह राणा द्वारा किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति केन्द्रीय पूल से न करके ज्वालाजी न्यास निधि से करने बारे)
52	पैरा–26 (ङ)	अनिर्णीत	(₹2500/–पटकों के भुगतान व पटकों की स्टॉक प्रविष्टि दर्ज न करने बारे)
53	पैरा–27	निर्णीत	(मन्दिर न्यास द्वारा प्राप्त चुनियों इत्यादि को दान में वितरित कर दिये जाने बारे। अतिरिक्त निदेशक महोदय के निरीक्षण रिपोर्ट संख्या 1–548/2011–फिन (एल0ए0) भाग–एक दिनाँक 09.09.14 द्वारा निर्णीत)
(च) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 1.1.03 से 31.12.04			
1	पैरा–5	निर्णीत	(वर्ष 2003 मे प्राप्त चांदी में से 2 किलो चांदी पिघलाने के कारण खपत हुई चांदी से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने बारे – अतिरिक्त निदेशक महोदय के निरीक्षण रिपोर्ट संख्या 1–548/2011–फिन (एल0ए0) भाग–एक दिनाँक 09.09.14 द्वारा निर्णीत)
2	पैरा–6	अनिर्णीत	(चांदी के सिक्को के सन्दर्भ में)
3	पैरा–9 (क)	अनिर्णीत	(आयुक्त मन्दिर एवं जिलाधीश कांगड़ा स्थित

			धर्मशाला द्वारा न्यास के कर्मचारियों के लिए बनाए गए सेवानियम के सन्दर्भ में)
4	पैरा–14 (1)	निर्णीत	(श्री बलदेव कुमार लिपिक व श्री मनोहर लाल लिपिक के मूल वेतन बारे – अतिरिक्त निदेशक महोदय के निरीक्षण रिपोर्ट संख्या 1–548/2011–फिन (एल0ए0) भाग–एक दिनाँक 09.09.14 द्वारा निर्णीत)
5	पैरा–14 (2)	निर्णीत	(श्री हुक्म चन्द व मुकन्द लाल सफाई सेवकों के मूल वेतन बारे – अतिरिक्त निदेशक महोदय के निरीक्षण रिपोर्ट संख्या 1–548/2011–फिन (एल0ए0) भाग–एक दिनाँक 09.09.14 द्वारा निर्णीत)
6	पैरा–14 (6)	अनिर्णीत	(मन्दिर न्यास में कार्यरत्त सभी कर्मचारियों की सेवा पंजिकाओं में प्रथम नियुक्ति की तिथि, पद, वेतन का विवरण रखने बारे)
7	पैरा–15	अनिर्णीत	(सहायक आयुक्त (मन्दिर) एवं उप मण्डल अधिकारी (ना0) देहरा के कार्यालय में न्यास के एक कर्मचारी की नियुक्ति बारे)
8	पैरा–16	अनिर्णीत	(जिला भाषा अधिकारी कार्यालय में न्यास के एक अन्य कर्मचारी श्रीमति आर्दश वाला (क0 सहायक) की नियुक्ति बारे)
9	पैरा–16 (क)	अनिर्णीत	(श्रीमति अंजु शर्मा की नियुक्ति बारे)
10	पैरा–16 (ख)	अनिर्णीत	(श्रीमति आर्दश बाला (लिपिक) की नियुक्ति बारे)
11	पैरा–17	अनिर्णीत	(3.8.2003 के पश्चात बारीदारों को किए गए कुल ₹1,04,90,004/–के अनियमित भुगतान बारे)
12	पैरा–17 (क)	अनिर्णीत	(पूजा अर्चना हेतु 20 प्रतिशत राशि काटे जाने बारे)
13	पैरा–18	अनिर्णीत	(ज्वालामुखी मन्दिर के समीप शॉपिंग काम्पलैक्स के निर्माण कार्य के दौरान श्रीमति पुष्पा देवी के मकान को हुई क्षति के मुआवजे के भुगतान मे ₹6 लाख 17

			हजार का अधिक अनियमित भुंगतान करने बारे)
14	पैरा–19	अनिर्णीत	(मन्दिर न्यास द्वारा पुष्पा देवी व उसके पुत्रों को दिया जा रहा लाखों रूपये की सम्पत्ति का अनुचित लाभ)
15	पैरा–20	अनिर्णीत	(₹4496259/–की निर्माण सामग्री का बिना किसी माप के प्रयोग में लाया जाना)
16	पैरा–21	अनिर्णीत	(मन्दिर न्यास द्वारा अपने पुराने 5 किराएदारों को किया गया कुल ₹5,71,200/–का अनुचित भुगतान)
17	पैरा–23 (क)	अनिर्णीत	(मन्दिर न्यास के अधिकारियों/कर्मचारियों की लापरवाही के कारण विद्युत निगम को किया गया ₹71,000/–का अनियमित भुगतान)
18	पैरा–25	अनिर्णीत	(वर्ष 2003 व वर्ष 2004 में विभिन्न नवरात्रों के दौरान रखे गए गृह रक्षकों को ₹59,999/–का अधिक भुगतान)
19	पैरा–25 (क) (1)	अनिर्णीत	(गृह रक्षकों को किए गए ₹2545/– के भुगतान बारे)
20	पैरा–25 (क) (2)	अनिर्णीत	(गृह रक्षकों को किए गए यात्रा भत्ते के भुगतान बारे)
21	पैरा–25 (ख)	अनिर्णीत	(₹8894/–की गृह रक्षकों से वसूली बारे)
22	पैरा–25 (घ)	अनिर्णीत	(गृह रक्षकों को ₹18085/–के गलत भुगतान बारे)
23	पैरा–26	अनिर्णीत	(मन्दिर न्यास द्वारा श्री डी0एन0 कपूर पट्टाधारी यात्री निवास मातृ छाया को दिए गए लाखों रूपये के अनुचित लाभ बारे तथा ₹8,68,300/–की वसूली न करने बारे)
24	पैरा–27	अनिर्णीत	(₹32100/–का अस्थाई दुरूपयोग)
25	पैरा–28	अनिर्णीत	(सहायक आयुक्त मन्दिर एवं उपमण्डल अधिकारी (ना0) देहरा के कार्यालय में समाचार पत्रों की आपूर्ति पर ₹17238/–का भुगतान करने बारे)
26	पैरा–31	अनिर्णीत	(श्री जितेन्द्र नाथ व विवेक सूद कनिष्ठ अभियन्ता को

			किया गया क्रमशः ₹18480/–व ₹16896/–अर्थात कुल ₹35376/–का अधिक भुगतान)
27	पैरा–39 (i)	अनिर्णीत	(बिना चर्चा के कार्य आबंटन बारे)
28	पैरा–39 (ii)	अनिर्णीत	(समाचार पत्र में विज्ञापन अनुसार धरोहर राशि केवल नकद जमा करवाने की एवज में धरोहर राशि)
29	पैरा–39 (iii)	अनिर्णीत	(राष्ट्रीय बचत पत्र जमा करवाने बारे निर्माण कार्य मानदण्डों से निम्न कोटी का किया जाने बारे)
30	पैरा–40 (3)	अनिर्णीत	(श्री संजल शर्मा ठेकेदार को ₹1784.79 का अधिक भुगतान)
31	पैरा–42	अनिर्णीत	(न्यास की चल व अचल सम्पत्तियों के भौतिक सत्यापन न करवाने बारे)
32	पैरा–46	अनिर्णीत	(बिना टैण्डर आमन्त्रित किए व बाजारीय प्रतियोगिता का लाभ उठाए बिना कार्य का आबंटन करने बारे)
33	पैरा–48 (3)	अनिर्णीत	(मन्दिर न्यास वाहन द्वारा यात्रा अन्य कार्यों हेतु करने बारे)
34	पैरा–52	अनिर्णीत	(मन्दिर न्यास द्वारा ज्वालाजी शिक्षा समिति को दी गई ₹1 करोड़ 20 लाख के सम्बन्ध में)
35	पैरा–53	अनिर्णीत	(सुलभ इन्टरनेशनल को ₹5000/–प्रति माह रखरखाव के रूप में दिए जाने के सन्दर्भ में)
36	पैरा–54	अनिर्णीत	(मन्दिर न्यास के कर्मचारियों को बोंनस के रूप मे ंकिया गया अनियमित भुगतान कुल ₹5206.00/– बारे)
37	पैरा–56 (ख)	अनिर्णीत	(दान हेतु काटी गई रसीद में दान की राशि का कार्बन कॉपी में नीले पैन से भरा जाना)
38	पैरा–58	अनिर्णीत	(अष्टभुजा सत्संग भवन व भैरों मन्दिर से वर्ष 2003 व वर्ष 2004 के दौरान कोई भी आय की प्राप्ति न दर्शाना)
39	पैरा–59 (1)	अनिर्णीत	(श्री राज कुमार सुपुत्र श्री मिलखी राम को किए गए

			(₹13200/–के भुगतान बारे)
40	पैरा–59 (2)	अनिर्णीत	(₹1188/–की कम्पयूटर की काली स्याही खरीदने हेतु)
41	पैरा–59 (3)	अनिर्णीत	(₹5100/–होम गार्डों से वसूली बारे)
42	पैरा–59 (6)	अनिर्णीत	(टेलीविजन के क्रय पर खर्च की गई राशि बारे)
(छ) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 1.1.05 से 31.12.05			
1	पैरा–4 (क)	निर्णीत	(वर्ष 2002 के अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 6 (ख) के अनुसार अशुद्ध सोने की मात्रा 393 ग्रा0 को शुद्ध सोने में परिवर्तित करने बारे – अतिरिक्त निदेशक महोदय के निरीक्षण रिपोर्ट संख्या 1–548/2011–फिन (एल0ए0) भाग–एक दिनाँक 09.09.14 द्वारा निर्णीत तथा पैरा वर्तमान अंकेक्षण में तथ्यों सहित पुनः प्रारूपित)
2	पैरा–4 (ख)	निर्णीत	(दिनांक 31.8.03 को चांदी पिघलाने के कारण खोट के रूप में खारिज की गई चांदी 2 किलो 46 ग्राम 650 मिली ग्राम बारे – अतिरिक्त निदेशक महोदय के निरीक्षण रिपोर्ट संख्या 1–548/2011–फिन (एल0ए0) भाग–एक दिनाँक 09.09.14 द्वारा निर्णीत)
3	पैरा–7 (2)	अनिर्णीत	(₹660/–का अधिक भुगतान)
4	पैरा–8 (2)	अनिर्णीत	(विद्युत प्रभारों के भुगतान बारे)
5	पैरा–9	अनिर्णीत	(अंकेक्षण द्वारा विभिन्न अंकेक्षण अधियाचनाओं द्वारा मांगी गई सूचनाओं को उपलब्ध न करवाए जाने के सन्दर्भ में)
(ज) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 1.1.06 से 31.12.07			
1	पैरा–5	निर्णीत	(वर्ष 2002 के अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 6 (ख) के अनुसार अशुद्ध सोने की मात्रा 393 ग्रा0 को शुद्ध सोने में परिवर्तित करने बारे तथा दिनांक 31.8.03 को चांदी पिघलाने के कारण खोट के रूप में 2 किलो 046 ग्राम व 650 मि0ग्रा0 दर्शाई गई चांदी को

			स्टॉक से खारिज करने बारे – अतिरिक्त निदेशक महोदय के निरीक्षण रिपोर्ट संख्या 1–548/2011–फिन (एल0ए0) भाग–एक दिनाँक 09.09.14 द्वारा निर्णीत)
2	पैरा–15	अनिर्णीत	(वर्ष 2006 व वर्ष 2007 प्रोत्साहन के रूप में न्यास कर्मचारियों को ₹362050/–का अधिक एवं गलत भुगतान करने बारे)
3	पैरा–16	अनिर्णीत	(वर्ष 2006 व वर्ष 2007 के दौरान प्रोत्साहन के रूप में ₹70555/–का अनियमित एवं गलत भुगतान करने बारे)
4	पैरा–17	अनिर्णीत	(वर्ष 2006 में लगने वाले नवरात्र मेलों के दौरान अतिरिक्त कार्य न करने के बावजूद किया गया ₹199920 का गलत भुगतान)
5	पैरा–18 (क से त)	अंशतः निर्णीत	(दण्ड ब्याज ₹133766 की वसूली शेष)
6	पैरा–20 (1 से 3)	अनिर्णीत	(नवरात्रों के दौरान रखे गए अतिरिक्त सफाई सेवकों को ₹55080/–का अधिक एवं गलत भुगतान)
7	पैरा–21	अनिर्णीत	(यात्री निवास मातृछाया को पट्टे पर न देने के कारण आय स्वरूप हुई ₹723030/– की हानि बारे)
8	पैरा–22	अनिर्णीत	(यात्री निवास मातृछाया की गत वर्षों की किराये के रूप में ₹558860/–वसूलने हेतु शेष)
9	पैरा–23	अनिर्णीत	(वर्ष 2005, वर्ष 2006 व वर्ष 2007 में नये निर्माण कार्यों पर कोई भी व्यय न करना)
10	पैरा–24	अनिर्णीत	(शॉपिंग कम्पलैक्स के निर्माण में निर्माण सामग्री की ₹20,60,294/–के दुरूपयोग बारे)
11	पैरा–25	अनिर्णीत	(₹4515/–की संविदाकार से वसूली बारे)
12	पैरा–26	अनिर्णीत	(₹1959/–की संविदाकार से वसूली बारे)

13	पैरा–27	अनिर्णीत	(₹1903 / –की संविदाकार से वसूली बारे)
14	पैरा–28	अनिर्णीत	(₹12193 / –के भुगतान से सम्बन्धित अनियमितताएं बारे)
15	पैरा–29	अनिर्णीत	(वर्ष 2006 व वर्ष 2007 में करवाए गए निर्माण कार्यों एवं अन्य कार्यों में मन्दिर न्यास द्वारा पानी व बिजली की आपूर्ति सम्बन्धित संविदाकारों को करने पर भी जल प्रभारों के रूप में चलित एवं अन्तिम संविदाकार के बिलों से कटौती न करने के कारण मन्दिर न्यास कोष को हुई हानि बारे)
16	पैरा–33	अनिर्णीत	(दीपावली के पर्व पर मिठाईयों के वितरण बारे)
17	पैरा–34	अनिर्णीत	(क्रय से पूर्व निर्धारित औपचारिकताएं पूर्ण न करने व बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाए बिना किए गए क्रय बारे)
18	पैरा–35	अनिर्णीत	(₹1870 / –की वसूली बारे)
19	पैरा–36	अनिर्णीत	(बारीदारों से ₹3000 / –की वसूली बारे)
20	पैरा–37	निर्णीत	(सोने की मात्रा 1 ग्राम 200 मिली ग्राम के दुरूपयोग बारे – अतिरिक्त निदेशक महोदय के निरीक्षण रिपोर्ट संख्या 1–548 / 2011–फिन (एल0ए0) भाग–एक दिनाँक 09.09.14 द्वारा निर्णीत)
21	पैरा–38	अनिर्णीत	(मुख्य मन्दिर गल्ला गणना रजिस्टर में दिनांक 3.4.06 को सोना व चांदी प्राप्त न होना जबकि सोना चांदी स्टॉक रजिस्टर मे ंसोना 4 ग्राम 300 मिली ग्राम व चांदी 1 किलो 132 ग्राम दर्शाने बारे)
22	पैरा–39	निर्णीत	(शैया भवन में रखे गल्लों की गणना के लिए गणना रजिस्टर तैयार न करने बारे – अतिरिक्त निदेशक महोदय के निरीक्षण रिपोर्ट संख्या 1–548 / 2011–फिन (एल0ए0) भाग–एक दिनाँक 09.09.14 द्वारा निर्णीत)

23	पैरा–41	अनिर्णीत	(मन्दिर अधिकारी व सहायक मन्दिर अधिकारी के निवास में लगे बिजली के मीटर नम्बर एम0डी0आर0 301 के बिजली बिलों के रूप में अवधि 17.1.2002 से 12.1.2009 तक की ₹26036/–का मन्दिर कोष से अनियमित एवं गलत भुगतान)
24	पैरा–42 (1)	अनिर्णीत	(श्रीमती आर्दश बाला को नियमों के विपरीत पदोन्नति बारे)
25	पैरा–42 (2)	अनिर्णीत	(श्रीमती अंजु शर्मा को नियमों के विपरीत पदोन्नति देने बारे)
26	पैरा–44 (1)	अनिर्णीत	(श्रीमति वीना देवी अध्यापक व श्री महिन्द्र सिंह की सेवापंजिकाओं में छुट्‌टी खाते में से 2 दिन अर्जित व 1 दिन परिवर्तित अवकाश कम करने बारे)
27	पैरा–44 (2)	अनिर्णीत	(श्री मनोहर लाल माली से एक दिन का वेतन काटा जाने बारे व बिना चिकित्सा प्रमाण पत्र असाधारण अवकाश की प्रविष्टि सेवापजिकाओं में करने बारे)
28	पैरा–44 (3)	अनिर्णीत	(श्री मनोहरलाल माली की 64 दिन की वेतन की वसूली व बिना चिकित्सा प्रमाण पत्र असाधारण अवकाश की प्रविष्टि सेवा पंजिका में करने बारे)
29	पैरा–45	अनिर्णीत	(श्री मनोहर लाल माली ₹10000/–की वसूली बारे)
30	पैरा–46	अनिर्णीत	(श्री अवतार सिंह विद्युतकार को ₹4333/–का गलत एवं अनियमित भुगतान)
31	पैरा–47	निर्णीत	(मृत्यु उपदान सहायता के रूप में ₹37782/–का गलत भुगतान – अतिरिक्त निदेशक महोदय के निरीक्षण रिपोर्ट संख्या 1–548/2011–फिन (एल0ए0) भाग–एक दिनाँक 09.09.14 द्वारा निर्णीत)
32	पैरा–48	अनिर्णीत	(मन्दिर की गाड़ी के अनावश्यक रखरखाव खर्च को सीमित करने बारे)
33	पैरा–49	अनिर्णीत	(₹4500/–की वसूली बारे)

(झ) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 1.1.08 से 31.12.08			
1	पैरा–9	अनिर्णीत	(वर्ष 2008 के दौरान बारीदारों को ₹3789555/–का गलत एवं अधिक भुगतान)
2	पैरा–10	अनिर्णीत	(वर्ष 2008 के दौरान प्रोत्साहन के रूप में न्यास कर्मचारियों को ₹64052/– का अधिक एवं गलत भुगतान)
3	पैरा–13	अनिर्णीत	(श्री अवतार सिंह संविदाकार को गलत तरीके से वापिस की गई प्रतिभूति ₹8000/–बारे)
4	पैरा–15 (ii)	अनिर्णीत	(श्रीमति विमला देवी सफाई कर्मचारी को अर्जित अवकाश भुनाने के एवज में ₹1063/–का अधिक एवं गलत भुगतान करने बारे)
5	पैरा–18	अनिर्णीत	(यात्री निवास में माह 4/08 के दौरान आय हेतु काटी गई रसीद संख्या 9224 से 9258 का अंकेक्षण में न दर्शाया जाना)
6	पैरा–22	अनिर्णीत	(सेवा पंजिकाओ में गलत पदनाम पुजारी सहायक दर्शाने बारे)
7	पैरा–24	अनिर्णीत	(मुख्य आयुक्त मन्दिर की विहित शक्तियों का आयुक्त मन्दिर द्वारा प्रयोग करने बारे)
8	पैरा–25 (1)	अनिर्णीत	(मन्दिर न्यास श्री ज्वालामुखी की सम्पत्तियों का वार्षिक प्रत्यक्ष सत्यापन न करवाने बारे)
9	पैरा–26	अनिर्णीत	(विभिन्न कर्मचारियों के स्वीकृत पदों से अधिक पद भरे जाने बारे)
(ञ) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 1.1.09 से 31.12.09			
1	पैरा–8	निर्णीत	(चांदी के स्टॉक में 1167 किलो 603 ग्राम 650 मिली ग्राम चांदी कम दर्शाना – अतिरिक्त निदेशक महोदय के निरीक्षण रिपोर्ट संख्या 1–548/2011–फिन (एल0ए0) भाग–एक दिनाँक 09.09.14 द्वारा निर्णीत)
2	पैरा–9	निर्णीत	(भौतिक सत्यापन के दौरान 6 किलो 112 ग्राम 660

			मि0ग्राम चांदी की मात्रा का स्टॉक में अधिक पाया जाना – अतिरिक्त निदेशक महोदय के निरीक्षण रिपोर्ट संख्या 1–548/2011–फिन (एल0ए0) भाग–एक दिनाँक 09.09.14 द्वारा निर्णीत)
3	पैरा–10	निर्णीत	(चांदी पिघलाने का शुद्धिकरण प्रक्रिया के दौरान 154 किलों 949 ग्राम चांदी को नष्ट हुई दर्शाकर स्टॉक से खारिज करने बारे – अतिरिक्त निदेशक महोदय के निरीक्षण रिपोर्ट संख्या 1–548/2011–फिन (एल0ए0) भाग–एक दिनाँक 09.09.14 द्वारा निर्णीत)
4	पैरा–12	अनिर्णीत	(बजट में प्रावधान के बगैर किए गए ₹559728/–का व्यय करने बारे)
5	पैरा–13	अनिर्णीत	(वर्ष 2009 में स्वीकृति बजट से ₹2211572/–का अधिक व्यय करने बारे)
6	पैरा–14	अनिर्णीत	(वर्ष 2009 के दौरान बारीदारों को ₹3895448 का गलत एवं अधिक भुगतान)
7	पैरा–15	अनिर्णीत	(वर्ष 2009 के दौरान प्रोत्साहन के रूप में न्यास कर्मचारियों को ₹5229/–का अधिक एवं गलत भुगतान)
8	पैरा–17	निर्णीत	(लंगर में खाद्य सामग्री एवं अन्य सामान के दुरूपयोग बारे – अतिरिक्त निदेशक महोदय के निरीक्षण रिपोर्ट संख्या 1–548/2011–फिन (एल0ए0) भाग–एक दिनाँक 09.09.14 द्वारा निर्णीत)
9	पैरा–18	निर्णीत	(लंगर में दैनिक खपत रजिस्टर के अनुसार खाद्य सामग्री के दुरूपयोग बारे – अतिरिक्त निदेशक महोदय के निरीक्षण रिपोर्ट संख्या 1–548/2011–फिन (एल0ए0) भाग–एक दिनाँक 09.09.14 द्वारा निर्णीत)
10	पैरा–19	निर्णीत	(लंगर में रसीदों से प्राप्त सामान के दुरूपयोग बारे –

			अतिरिक्त निदेशक महोदय के निरीक्षण रिपोर्ट संख्या 1–548/2011–फिन (एल0ए0) भाग–एक दिनाँक 09. 09.14 द्वारा निर्णीत)
11	पैरा–20	निर्णीत	(लंगर प्रभारी द्वारा 1 टन 5 क्विंटल 86 किलाग्रेाम गेहूं का आटा प्रचलित दरों से कम बेचने के कारण मन्दिर कोष में हुई ₹15860/–की वित्तीय हानि के बारे – अतिरिक्त निदेशक महोदय के निरीक्षण रिपोर्ट संख्या 1–548/2011–फिन (एल0ए0) भाग–एक दिनाँक 09.09.14 द्वारा निर्णीत)
11	पैरा–21	अनिर्णीत	(मन्दिर अधिकारी एवं सहायक मन्दिर अधिकारी के निवास में लगे बिजली के मीटर नम्बर एम0डी0आर0 301 के बिजली के बिलों के रूप में अवधि 1.3.09 से 30.11.10 तक ₹34774/–का मन्दिर कोष से अनियमित एवं गलत भुंगतान)
12	पैरा–22	निर्णीत	(लंगर में आटे की मद के दुरूपयोग बारे – अतिरिक्त निदेशक महोदय के निरीक्षण रिपोर्ट संख्या 1–548/2011–फिन (एल0ए0) भाग–एक दिनाँक 09. 09.14 द्वारा निर्णीत)
13	पैरा–26	अनिर्णीत	(मुख्य मन्दिर गल्ला गणना रजिस्टर में सिक्कों की गणना से ₹990/–अधिक दर्शाने बारे)
14	पैरा–27	अनिर्णीत	(13 दुकानों का किराया अनियमित रूप से कम करने के कारण हो रही प्रति वर्ष ₹31824/–की वित्तीय हानि बारे)
15	पैरा–28	अनिर्णीत	(2 दुकाने अनियमित रूप से गृह रक्षकों व सुरक्षा गार्डो को आबंटित करना व एक दुकान का खाली रखने बारे)
16	पैरा–29	अनिर्णीत	(दोष पूर्ण खुली बोली की प्रक्रिया के कारण किराए का कम निर्धारण)

17	पैरा–30	अनिर्णीत	(मन्दिर अधिकारी व लेखाकार को दिए जा रहे अनियमित एवं गलत लाभ बारे)
18	पैरा–31	अनिर्णीत	(मन्दिर न्यास लंगर से मन्दिर अधिकारी, लेखाकार व डिग्री कॉलेज हेतु गैस सिलैण्डर की सप्लाई करने बारे)
19	पैरा–32	अनिर्णीत	(श्री सुभाष चन्द सफाई सेवक के लम्बी अवधि तक अवकाश पर रहने के बारे में)
20	पैरा–33	अनिर्णीत	(कॉमन पूल को अनियमित रूप से हस्तांतरित की गई ₹4 लाख के बारे)
21	पैरा–34	अनिर्णीत	(डिग्री कॉलेज ज्वालामुखी को भुगतान की गई ₹5 लाख के बारे)
22	पैरा–35	अनिर्णीत	(श्री बलदेव सिंह लिपिक का पदनाम गलत तरीके से वरिष्ठ क्लर्क दर्शाने बारे)
23	पैरा–36	निर्णीत	(श्री विवेक सूद कनिष्ठ अभियन्ता की सेवा पंजिका प्रस्तुत न करने व वेतन निर्धारण बारे – अतिरिक्त निदेशक महोदय के निरीक्षण रिपोर्ट संख्या 1–548 / 2011–फिन (एल0ए0) भाग–एक दिनाँक 09.09.14 द्वारा निर्णीत)
24	पैरा–37	अंशतः निर्णीत	(दैनिकी भत्ते के रूप में श्री विनोद कुमार सेवादार को ₹245 / –अधिक भुगतान व श्री विजय कुमार ड्राफ्ट मैन को ₹518 / – का अधिक एवं गलत भुगतान करना श्री विजय कुमार से ₹518 / –की वसूली शेष)
25	पैरा–38	अनिर्णीत	(सूद आरा उद्योग होशियारपुर को बेरियर टैक्स व ट्रक भाड़े के रूप में ₹16550 / –का गलत भुगतान)
26	पैरा–39	अनिर्णीत	(वालन ढुलाई व उतराई के रूप में लंगर प्रभारी को ₹11659 / –का गलत भुगतान)
27	पैरा–40 (क) (i)	अनिर्णीत	(अष्ट भुजा मन्दिर व कीर्तन / सत्संग भवन पर प्रभावी नियन्त्रण स्थापित न करने बारे)

28	पैरा–40 (क) (ii)	अनिर्णीत	(भैरों मन्दिर की रोकड़ वही तैयार न करने बारे)
29	पैरा–40 (क) (iii)	अनिर्णीत	(भैरों मन्दिर व टेहड़ा मन्दिर के बचत खातों में शेष बची राशि को मन्दिर न्यास के बचत खातों में हस्तांतरित न करने बारे)
30	पैरा–40 (क) (iv)	अनिर्णीत	(भैरों मन्दिर व टेहड़ा मन्दिर की आय की गणना प्राधिकृत कमेटी के समक्ष किए जाने बारे)
31	पैरा–40 (क) (v)	अनिर्णीत	(टेहड़ा मन्दिर की आय हेतु जारी की गई रसीदों का स्टॉक रजिस्टर प्रस्तुत न करने बारे)
32	पैरा–40 (ख)	अनिर्णीत	(टेहड़ा मन्दिर की आय में से ₹15466/–का अस्थाई गवन करने व रोकड़ वही का रखरखाव न करने बारे)
(ट) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 1.1.2010 से 31.12.2010			
1	पैरा–8	निर्णीत	(₹210 का दुरूपयोग – अतिरिक्त निदेशक महोदय के निरीक्षण रिपोर्ट संख्या 1–548/2011–फिन (एल0ए0) भाग–एक दिनाँक 09.09.14 द्वारा निर्णीत)
2	पैरा–9	अनिर्णीत	(वर्ष 2010 के दौरान बारीदारों को ₹5215799/– का अनियमित एवं अधिक भुगतान)
3	पैरा–10	अनिर्णीत	(वर्ष 2008 से अनूप कुमार, अनुबन्ध अध्यापक, संस्कृत विद्यालय ज्वालामुखी को वेतन के रूप में ₹60131/– के गलत एवं अधिक भुगतान करने से सम्बन्धित वसूली बारे)
4	पैरा–11	अनिर्णीत	(श्रीमती कामना देवी, सेवादार को वेतन एवं भतों के रूप में गलत भुगतान की गई ₹32628/– की वसूली बारे)
5	पैरा–12	अनिर्णीत	(श्री प्रबल कुमार शास्त्री, संस्कृत विद्यालय की वर्ष 2010 की वार्षिक वृद्धि न रोकने के कारण वेतन एवं भत्तों के रूप में किए गए ₹10637/– के गलत एवं अधिक भुगतान की वसूली बारे)

6	पैरा–13	अनिर्णीत	(श्री हेमन्त कुमार पुजारी सहायक को माह 12/10 देय 1/11 के वेतन एवं भत्तों के रूप में अधिक एवं गलत भुगतान की गई ₹3014/– की वसूली बारे)
7	पैरा–14	निर्णीत	(तृतीय श्रेणी व स्थाई वेतन पर नियुक्त बेलदारों एवं दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमों के विपरीत वर्दी भत्ता प्रदान करने के कारण मन्दिर न्यास कोष को हुई ₹60300/– की वित्तीय हानि के बारे – अतिरिक्त निदेशक महोदय के निरीक्षण रिपोर्ट संख्या 1–548/2011–फिन (एल0ए0) भाग–एक दिनाँक 09.09.14 द्वारा निर्णीत)
8	पैरा–16	निर्णीत	(शान्ति स्वरूप सेवादार को बकाया वेतन के रूप में ₹105/– का गलत एवं अधिक भुगतान रसीद संख्या 15538 दिनाँक 18.11.11 द्वारा वसूली की गई है)
9	पैरा–17	निर्णीत	(मनोहर लाल, वरिष्ठ सहायक को बकाया वेतन के रूप में ₹163/– का अधिक भुगतान रसीद संख्या 15539 दिनाँक 18.11.11 द्वारा वसूली की गई है)
10	पैरा–18	अनिर्णीत	(जनरेटर सैट का क्रय निविदा न भरने वाली फर्म से उच्च दरों पर करने के कारण मन्दिर न्यास को हुई ₹249321/– की वित्तीय हानि के सन्दर्भ में)
11	पैरा–19	अनिर्णीत	(मन्दिर न्यास श्री ज्वालामुखी द्वारा लंगर बनाने, परोसने व सफाई व्यवस्था के कार्य का ठेका प्रथम न्यूनतम दर भरने वाले संविदाकार को न देकर द्वितीय न्यूनतम दर भरने वाले संविदाकार को देने के फलस्वरूप 18 माह के दौरान मन्दिर न्यास को हुई ₹376200/– की वित्तीय हानि के बारे)
12	पैरा–20	अनिर्णीत	(लंगर संचालन ठेके पर देने के कारण 2 मुख्य रसोईयों व 2 सहायक रसोईयों की सेवाएं मन्दिर

			न्यास हेतु अनुपयोगी होने के कारण मन्दिर न्यास कोष पर लाखों रूपयो का अनावश्यक वित्तीय बोझ)
13	पैरा–21	अनिर्णीत	(लगर संचालन के ठेकेदार को 18 माह के दौरान मन्दिर न्यास द्वारा ₹258246/– का परोक्ष रूप से अनियमित, अनैतिक एवं अप्रत्याशित लाभ प्रदान करना)
14	पैरा–22	अनिर्णीत	(बिना टैण्डर बुलाए लंगर संचालन के ठेके की अवधि 12 माह तक बढ़ाना)
15	पैरा–23	अनिर्णीत	(कॉमन पूल को अनियमित रूप से हस्तांतरित की गई ₹4 लाख रूपये के बारे में)
16	पैरा–24	अनिर्णीत	(डिग्री कॉलेज को दी गई ₹20 लाख के बारे में)
17	पैरा–25	अनिर्णीत	(नियमों के विपरीत प्रधानाचार्य ज्वालाजी शिक्षा समिति को ₹3 लाख का ऋण देने व वसूली न करने बारे)
18	पैरा–26	अनिर्णीत	(बजट में प्रावधान के बगैर किए गए ₹1133633/– का व्यय करने बारे)
19	पैरा–27	अनिर्णीत	(वर्ष 2010 में स्वीकृत बजट से ₹892363/– का अधिक व्यय करने बारे)
20	पैरा–28	निर्णीत	(सेवापंजिकाओं में अर्जित अवकाश परिणित अवकाश व असाधारण अवकाश की प्रविष्टियॉ न करने बारे – अतिरिक्त निदेशक महोदय के निरीक्षण रिपोर्ट संख्या 1–548/2011–फिन (एल0ए0) भाग–एक दिनाँक 09.09.14 द्वारा निर्णीत)
21	पैरा–29	निर्णीत	(वास्तविक शेष अर्जित अवकाश व परिणित अवकाश से अधिक शेष अर्जित अवकाश एवं परिणित अवकाश दर्शाना – अतिरिक्त निदेशक महोदय के निरीक्षण रिपोर्ट संख्या 1–548/2011–फिन (एल0ए0) भाग–एक दिनाँक 09.09.14 द्वारा निर्णीत)

22	पैरा–30	अनिर्णीत	(सेवा पंजिका में जन्म तिथि में बदलाव करना)
23	पैरा–31	अनिर्णीत	(श्री गगन कुमार, सफाई सेवक की पंजिका में 939 दिन की सेवा अवरोध अवधि की प्रविष्टि न करना)
24	पैरा–32	अनिर्णीत	(लंगर के सामान के दुरूपयोग बारे)
25	पैरा–33	अनिर्णीत	(लंगर में रसीदों से प्राप्त सामान के दुरूपयोग बारे)
26	पैरा–34	अनिर्णीत	(मन्दिर न्यास की मुक्त आवास सुविधा प्राप्त करने वाले अधिकारी एवं कर्मचारी से मकान किराया भत्ता व लाईसैन्स फीस की वसूली न करने बारे)
27	पैरा–35	अनिर्णीत	(माह 9/10 में पारिश्रमिक व अतिरिक्त प्रोत्साहन के रूप में ₹3450/– का गलत भुगतान करने बारे एवं गत वर्षों में भी किए जा रहे उक्त प्रकार के गलत भुगतानों की वसूली बारे)
28	पैरा–36	अनिर्णीत	(मन्दिर अधिकारी के साथ सम्बद्ध गाड़ी की ₹300/– प्रतिमाह की दर न्यूनतम स्थाई प्रभार को न वसूलने बारे)
29	पैरा–37	निर्णीत	(अग्रिम राशि का अस्थाई दुर्विनियोजन – अतिरिक्त निदेशक महोदय के निरीक्षण रिपोर्ट संख्या 1–548/2011–फिन (एल0ए0) भाग–एक दिनाँक 09.09.14 द्वारा निर्णीत)
30	पैरा–38	निर्णीत	(अभिलेख का प्रस्तुत न किया जाना – अतिरिक्त निदेशक महोदय के निरीक्षण रिपोर्ट संख्या 1–548/2011–फिन (एल0ए0) भाग–एक दिनाँक 09.09.14 द्वारा निर्णीत)
31	पैरा–39	अनिर्णीत	(मन्दिर न्यास श्री ज्वालामुखी के वरिष्ठ सहायक के स्वीकृत दों पदो के विरूद्ध चार वरिष्ठ सहायकों की तैनाती करने के कारण दो अधिक वरिष्ठ सहायकों के वेतन के रूप में मन्दिर न्यास कोष पर लाखों रूपये का अनियमित वित्तीय बोझ)

(ठ) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 1.1.2011 से 31.12.2012			
1	पैरा–3	निर्णीत	(अंकेक्षण शुल्क की ₹69700/– चैक संख्या 33, दिनाँक 10.09.13 द्वारा प्राप्त हुई)
2	पैरा–4	निर्णीत	(वित्तीय स्थिति पुनः प्रारूपित)
3	पैरा–5	अनिर्णीत	
4	पैरा–6 (क) (i)	निर्णीत	(पुनः प्रारूपित)
5	पैरा–6 (क) (ii)	निर्णीत	(53 ग्राम सोने की मात्रा को सोने के रजिस्टर के स्थान पर चाँदी के रजिस्टर में दर्ज करने बारे – अतिरिक्त निदेशक महोदय के निरीक्षण रिपोर्ट संख्या 1–548/2011–फिन (एल0ए0) भाग–एक दिनाँक 09.09.14 द्वारा निर्णीत)
6	पैरा–6 (क) (iii)	निर्णीत	(न्यास द्वारा प्राप्त सोने की मात्रा में से 5 ग्राम सोने की मात्रा को सोने के रजिस्टर में कम दर्ज करने बारे – अतिरिक्त निदेशक महोदय के निरीक्षण रिपोर्ट संख्या 1–548/2011–फिन (एल0ए0) भाग–एक दिनाँक 09.09.14 द्वारा निर्णीत)
7	पैरा–6 (ख) (ii)	निर्णीत	(मन्दिर न्यास द्वारा रसीदों के अन्तर्गत प्राप्त की गई चाँदी की मात्रा में से 11 ग्राम चाँदी की मात्रा चाँदी के रजिस्टर में कम दर्ज करने बारे – अतिरिक्त निदेशक महोदय के निरीक्षण रिपोर्ट संख्या 1–548/2011–फिन (एल0ए0) भाग–एक दिनाँक 09.09.14 द्वारा निर्णीत)
8	पैरा–7	स्वतः निर्णीत	
9	पैरा–8	अनिर्णीत	(स्वीकृत बजट से ₹1438935/– का अधिक व्यय करने बारे)
10	पैरा–9	अनिर्णीत	(बजट में प्रावधान के बगैर ही किए गए ₹2828579/– के व्यय के बारे)
11	पैरा–10	अनिर्णीत	(वर्ष 2011 के दौरान बारीदारों को ₹5809542/–

			का अधिक एवं गलत भुगतान)
12	पैरा–11	अनिर्णीत	(श्रीमती बेबी देवी बारीदार को बारीदार के हिस्से के रूप में ₹44348 / – का अधिक एवं गलत भुगतान)
13	पैरा–12	अनिर्णीत	(मातृछाया यात्री निवास श्री ज्वालामुखी के ठेकेदार श्री अरूण लाल टण्डन के आश्रितों से लीज की राशि, बिजली के बिलों की राशि तथा कम सामान वापिस दिए जाने से सम्बन्धित राशि कुल ₹636476 / – की वसूली न करने बारे)
14	पैरा–13	अनिर्णीत	(मन्दिर न्यास श्री ज्वालामुखी द्वारा मन्दिर बोर्ड के द्वार के पास शौचालयों व स्नानागारों के संचालन का ठेका सुल्भ अर्न्तराष्ट्रीय सामाजिक सेवा संस्था को निशुल्क दिए जाने के बावजूद भी प्राकलन के आधार पर ₹3845436 / – का भुगतान करने बारे)
15	पैरा–14	अनिर्णीत	(मन्दिर न्यास श्री ज्वालामुखी की सीढ़ियों के पास निर्मित शौचालय एवं स्नानागृह का ठेका मैसर्ज जय माँ इन्टरप्राईजिज चिन्तपूर्णी को बिना फीस / शुल्क के देने के कारण मन्दिर न्यास को हुई ₹188000 / – की वित्तीय हानि के बारे में)
16	पैरा–15	अनिर्णीत	(निर्धारित औपचारिकताएं पूर्ण किए बगैर तीन वर्षों के लिए माँ ज्वाला जी के लाईव दर्शन का ठेका विस्तार डिजीटल मीडिया प्राईवेट लिमिटेड मुम्बई को अत्याधिक कम दरो ंपर देने बारे)
17	पैरा–16	अनिर्णीत	(माँ जवाला के लाईव दर्शन के संविदाकार विस्तास डिजीटल मीडिया प्राईवेट लिमिटेड मुम्बई द्वारा दो त्रैमासिक किश्तों की ₹62500 / – कम जमा करवाने बारे)
18	पैरा–17	अनिर्णीत	(बिना टैण्डर बुलाएं लंगर का अवधि 1.3.10 से 30.9.12 का ठेका हेतु पुरानी दरों पर तथा अवधि 1.10.12

			से आगामी 2 वर्षों हेतु 10**%** वृद्धि के साथ देने के कारण मन्दिर न्यास को हुई ₹647900/– की वास्तविक हानि तथा भविष्य में होने वाली ₹645600/– की सम्भावित वित्तीय हानि क बारे में)
19	पैरा–18	अनिर्णीत	(लंगर संचालन के लिए 16 माह तक मन्दिर न्यास के कर्मचारियों की सेवाएं संविदाकारों को उपलब्ध करवाकर उन्हें अप्रत्यक्ष रूप से ₹295790/– का लाभ पहुँचाना)
20	पैरा–19	निर्णीत	(तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों को तथा स्थाई वेतन पर नियुक्त बेलदार कर्मचारियों को नियमों के विपरीत वर्दी भत्ता प्रदान करने के कारण मन्दिर न्यास कोष पर ₹61540/– पर अतिरिक्त बोझ डालने बारे – अतिरिक्त निदेशक महोदय के निरीक्षण रिपोर्ट संख्या 1–548/2011–फिन (एल0ए0) भाग–एक दिनाँक 09. 09.14 द्वारा निर्णीत)
21	पैरा–20	अनिर्णीत	(श्री विवेक सूद कनिष्ठ अभियन्ता को वेतन एवं भत्तों के रूप में वर्ष 2008 से वर्ष 2010 के दौरान किए गए ₹59241/– के अधिक एवं गलत भुगतान की वसूली बारे)
22	पैरा–21	अनिर्णीत	(श्री अनूप कुमार अनुबन्ध अध्यापक को मन्दिर न्यास के संस्कृत विद्यालय में नियमों के विपरीत नियमित नियुक्ति देने बारे)
23	पैरा–22	अनिर्णीत	(श्री नरेश कुमार वरिष्ट लिपिक को अनियमित रूप से वार्षिक वेतन वृद्धियाँ प्रदान करने के कारण उनको वेतन एवं भत्तों के रूप में ₹29876/– का गलत एवं अधिक भुगतान करना)
24	पैरा–23	अनिर्णीत	(वेतन एवं भत्तों के रूप में ₹43967/– का अधिक एवं गलत भुगतान करना)

25	पैरा–24	अनिर्णीत	(श्री राजन बासुदेवा, सहायक अभियन्ता के आश्रितों को अर्जित अवकाश के एवज में ₹15750/– का अधिक एवं गलत भुगतान करना)
26	पैरा–25	अनिर्णीत	(मन्दिर न्यास के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को मुफ्त आवास सुविधा प्रदान करने के उपलक्ष्य में उनमें मकान किराया भत्ता व लाईसैन्स फीस की वसूली न करने बारे)
27	पैरा–26	अनिर्णीत	(मन्दिर अधिकारी के साथ सम्बद्ध गाड़ी का ₹300/– प्रति माह की दर से न्यूनतम स्थाई प्रभार न वसूलने बारे)
28	पैरा–27 (क) (ख)	अनिर्णीत	(मन्दिर न्यास के कर्मचारियों को निर्धारित सीमा से अधिक ब्याज मुक्त अग्रिम राशि स्वीकृत करने बारे तथा अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा अग्रिम में से बची शेष राशि को देरी से जमा करवाने बारे)
29	पैरा–28	अनिर्णीत	(कॉमन पूल को अनियमित रूप में हस्तांतरित की गई ₹5 लाख के बारे में)
30	पैरा–29 (क)	स्वतः निर्णीत	
31	पैरा–29 (ख)	अनिर्णीत	(संविदाकार को अनैतिक, अप्रत्याशित एवं अपरोक्ष लाभ देने के प्रयोजन से अग्रिम ₹2000000/– का अनियमित रूप से दिया जाना तथा माप पुस्तिका में प्रविष्टि न करना तथा अनियमित रूप से दी गई अग्रिम राशि की आगामी चलित बिलों से 2 वर्षों तक वसूली न करने के कारण चक्रवृद्धि ब्याज की दर से ₹484761/– की वसूली न करने बारे)
32	पैरा–29 (ग)	अनिर्णीत	(संविदाकार से क्षतिपूर्ति की राशि की वसूली न करना)
33	पैरा–30	अनिर्णीत	(मैसर्ज विश्वकर्मा ग्रामोद्योग धर्मशाला को ₹16886/– का अधिक एवं गलत भुगतान)

34	पैरा–31	अनिर्णीत	(टैण्डर में भरे गए रेट में कटिंग/टैम्परिंग करके प्रथम न्यूनतम दर भरने वाली फर्म के स्थान पर द्वितीय न्यूनतम दर भरने वाली फर्म को कार्य आंबटित करना तथा तदानुसार मैसर्ज विश्वकर्मा ग्रामोद्योग धर्मशाला को ₹133755/– का अधिक भुगतान करना)
35	पैरा–32	अनिर्णीत	(विभिन्न पत्रिकाओं में विज्ञापन देने हेतु ₹661620/– का व्यय करने बारे)
36	पैरा–33	अनिर्णीत	(मन्दिर न्यास द्वारा मिठाईयों की खरीद पर ₹59340/– का अनियमित व्यय करना तथा खरीदी गई मिठाईयों की भण्डार प्रविष्टि न करना एवं वितरण से सम्बन्धित अभिलेख तैयार न करना)
37	पैरा–34	अनिर्णीत	(कम्पयूटर क्रय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त न करना व सरकारी उपक्रम से कम्पयूटरों का क्रय न करना)
38	पैरा–35	अनिर्णीत	(डिग्री कॉलेज ज्वालामुखी को वर्ष 2011 में ₹20 लाख व वर्ष 2012 में ₹50 लाख अर्थात कुल ₹70 लाख प्रदान करने बारे)
39	पैरा–36	अनिर्णीत	(मन्दिर न्यास श्री ज्वालामुखी की गाड़ी संख्या एच0पी0 54–222 का बहुत कम प्रयोग करने से गाड़ी की प्रति किलोमीटर यात्रा पर अत्याधिक व्यय करने बारे में मन्दिर न्यास को लगभग ₹296597/– की हानि के बारे में)
40	पैरा–37	अनिर्णीत	(मन्दिर न्यास के जैनरेटर को चलाने हेतु निर्धारित खपत से 530.82 लीटर की खपत अधिक दर्शाने के परिणामस्वरूप अधिक प्रयोग किए गए डीजल के वास्तविक मूल्य ₹21481/– की वसूली करने बारे)
41	पैरा–38	अनिर्णीत	(कपड़ा स्टॉक रजिस्टर 18 में मदों के वास्तविक शेष

			की मात्रा से कम मात्रा दर्शाना)
42	पैरा–39	अनिर्णीत	(सम्पत्तियों का वार्षिक प्रत्यक्ष सत्यापन न करवाने बारे)
43	पैरा–40 (क)	अनिर्णीत	(श्री अश्वनी कुमार, सहायक रसोईये के निलम्बन आदेशों की प्रविष्टि सेवा पंजिका में दर्ज न करना)
44	पैरा–40 (ख)	अनिर्णीत	(श्री प्रहलाद कुमार, सेवादार की सेवा पंजिका/अर्जित अवकाश के खाते में उनके द्वारा व्यतीत किए गए 7 दिन के अर्जित अवकाश को डेबिट न करना)
45	पैरा–40 (ग)	अनिर्णीत	(श्री विनोद कुमार शुक्ला डाक्टर होम्योपैथी की सेवा पंजिका/अवकाश खाते में शेष अवकाश का अधिक दर्शाया जाना)
46	पैरा–40 (घ)	अनिर्णीत	(श्री राजकुमार सहायक पलम्बर की सेवा पंजिका में उनके द्वारा अवधि 3.8.05 से 18.8.05 के दौरान चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर व्यय किए गए 16 दिनों के अर्जित अवकाश की प्रविष्टि न करना)
47	पैरा–40 (ङ)	अनिर्णीत	(भददन पर्ची/रसीद प्रस्तुत न करने बारे)
48	पैरा–40 (च)	अनिर्णीत	(कुदना पर्ची प्रस्तुत न करना)
49	पैरा–40 (छ)	अनिर्णीत	(अग्रिम रजिस्टर तैयार न करने बारे)
50	पैरा–40 (ज)	अनिर्णीत	(यात्रा भत्ता रजिस्टर तैयार न करने बारे)
51	पैरा–40 (झ)	अनिर्णीत	(टेलीफोन रजिस्टर तैयार न करना)

अनिर्णीत पैरों का सार	
गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के अनुसार अनिर्णीत पैरे	418
वर्ष अंकेक्षण प्रतिवेदन में लगाए गए पैरे	(+) 21
वर्ष अंकेक्षण के दौरान निर्णीत किए गए पैरे	(–) 40
अन्तशेष (दिनाँक 31.12.13 तक)	399